सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग

# मेहनत का फल

## *नाशिक, महाराष्ट्र के अंगूर फार्म में प्रवासी मजदूर*

*अनुष्का रोज़ एवं विजेता*

2021

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग, दक्षिण एशिया द्वारा पोषित

# आभार

सबसे पहले एवं मुख्य तौर पर हम डांग और सुरगना ब्लॉक से नाशिक के अंगूर फार्म में काम करने के लिए पलायन करने वाली महिला, पुरुष एवं बच्चों के प्रति दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे अध्ययन में हिस्सेदारी करने के लिए सहमत होने के लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने हमें उनकी जिंदगी, अनुभवों एवं काम के बारे में गहरी समझ तथा अंतर्दृष्टि देने के लिए दिल से एवं धीरज से सहयोग किया। यह अध्ययन उनके सहयोग तथा समर्थन के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था।

हम सूरत की डाटा संग्रह टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस टीम के समर्पित कार्यकर्ताओं के नेटवर्क की बदौलत हम मजदूरों के मूलस्थान एवं पलायन की जगहों पर पहुँच पाये। इस मौके पर हम डेनिस मकवान, शांतिलाल रावत, जयेश गामित, वनिता राठौड़ एवं जीतू बारिया का नाम विशेष रूप से जिक्र करना चाहते है। यह टीम शुरू से लेकर अंत तक इस अध्ययन में हमारे साथ रही एवं हर कदम पर हमें सहयोग एवं समर्थन दिया। .

यह पुस्तक हमारे वित्तीय सहयोगी रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग के अटूट सहयोग का उल्लेख किए बगैर अधूरा रह जाएगा। हम विशेष रूप से राजीव कुमार एवं उनकी टीम के आभारी हैं जिन्होंने हमारे सभी प्रयासों में सहयोग एवं समर्थन किया। उन्होंने हमें असंगठित क्षेत्र के अनियमित मजदूरों के साथ निष्ठा से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अंत में, हम सीएलआरए के सहकर्मियों एवं विशेष रूप से हमारे सचिव सुधीर कटियार के प्रति हमारी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। इस अध्ययन की शुरुआत से समाप्ति तक हमारे सहकर्मियों ने दरियादिली से हमारे प्रयास में मदद किया। यह अध्ययन उनके सहयोग, योगदान एवं अंतर्दृष्टि के बगैर सफल नहीं हो पाता।

यह अध्ययन सहभागी प्रयास एवं सामूहिक श्रम की उपज है, लेकिन किसी भी कमी के लिए ज़िम्मेदारी लेखकों की है।

तारीख : दिसम्बर 2021

**अनुष्का एवं विजेता**

---

[1] शैलेश चौधरी डांग के एक कार्यकर्ता हैं जो नासिक के अंगूर के फार्म में काम किये। वह फील्ड रिसर्च टीम के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ प्रक्रियाओं की तस्वीरें साझा कीं जब वह और उनकी टीम सितंबर से दिसंबर 2021 तक सीज़न के दौरान काम कर रहे थे।

**अनुवादक :** गोपाल मिश्रा

**डाटा संग्रह टीम :** डेनिस मकवान, शांतिलाल रावत, जयेश गामित, वनिता राठौड़ एवं जीतू बारिया

**फोटोग्राफी :** शैलेश चौधरी[1], जीतू बारिया एवं अनुष्का रोज़

**मैप :** जीतू बारिया

**डिजाइन:** बिंदू

**मुद्रन:** अमीरा क्रीशन

# मेहनत
# का
# फल

## *महाराष्ट्र के अंगूर फार्म में प्रवानाशिक,*
## *महाराष्ट्र के अंगूर फार्म में प्रवासी मजदूर*

*अनुष्का रोज़ एवं विजेता*

*2021*

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग, दक्षिण एशिया द्वारा पोषित

# विषय सूची

प्रस्तावना 2

रिपोर्ट:

पहला अध्याय : भूमिका 4

दूसरा अध्याय : भारत में अंगूर की खेती पर साहित्य की समीक्षा 7

तीसरा अध्याय : अध्ययन पद्धति एवं पद्धति का ढांचा 12

चौथा अध्याय : अंगूर की खेती में श्रम प्रक्रिया 14

पांचवां अध्याय : अंगूर फार्म में प्रवासी मजदूर का पलायन प्रवाह और मजदूरों की जनसांख्यिकी 20

छठा अध्याय : अंगूर फार्म में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के काम करने एवं रहन–सहन की स्थिति 24

सातवां अध्याय : समापन टिप्पणी 38

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1: अंगूर मजदूरों के काम में खतरा एवं सुरक्षा 46

परिशिष्ट 2: गाँव की अनुसूची 48

परिशिष्ट 3 : पारिवारिक अनुसूची 50

टेबल एवं मानचित्रों की सूची 55

संदर्भ 57

# प्रस्तावना

यह अध्ययन महाराष्ट्र के नाशिक जिले के अंगूर बागों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके रहन-सहन और काम करने की स्थिति का वर्णन करता है। यह अध्ययन सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए)द्वारा "कार्यवाही करने के लिए शोध" के तहत किया गया है। यह रिपोर्ट सीएलआरए द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर "कार्यवाही-अनुसंधान" की निरंतरता में किया गया है। इससे पहले सीएलआरए ने ईंट भट्टा, निर्माण गतिविधि, गन्ना कटाई का काम करने वाले और सौराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों का अध्ययन किया है।

152000 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती होती है और 3229000 मेट्रिक टन अंगूर का उत्पादन होता है। यह उत्पादन मुख्यतः महाराष्ट्र के नाशिक और सांगली जिले में होता है। 2020-2021 में देश ने अंगूर निर्यात से 2177 करोड़ रुपये कमाये। कृषि क्षेत्र के अन्य व्यापारिक फसलों के उत्पादन से एक ओर जहां उद्योगपति और राज्य सम्पन्न होता है तो वहीं दूसरी ओर इस आर्थिक समृद्धि का बहुत ही छोटा हिस्सा रिस कर प्रवासी मजदूरों तक पहुँच पाता है। यह बात इस अध्ययन में उजागर हुई है कि अंगूर के फार्म में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की स्थिति कुछ इसी तरह की है। साल दर साल अंगूर उत्पादकों के सामूहिक प्रयास और सरकार के पूरे समर्थन से अंगूर का उत्पादन और उससे मिला राजस्व बढ़ता जा रहा है। इस खेती में तकनीक की जरूरत कम होने के कारण यह मुख्यतः श्रम प्रधान उद्यम है। कठिन स्थिति में काम करने में सक्षम होने के कारण प्रवासी मजदूर अंगूर के बागों में काम करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। .

प्रवासी मजदूर मुख्यतः नाशिक और पड़ोसी राज्य गुजरात के डांग जिले से पलायन करके आते हैं। इन

प्रवासी मजदूरों का बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। मजदूरों को टेंडर के तहत काम पर रखा जाता है और उन्हें प्रति हेक्टेयर के काम के हिसाब से भुगतान किया जाता है। मजदूरों में अधिकांश युवा हैं और कृषि क्षेत्र के अन्य कामों की तुलना में यहां उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलती है। हालांकि उन्हें इसकी कीमत थका देने वाली मेहनत और कई तरह की बीमारियों से पीड़ित होकर चुकानी पड़ती है। समग्रता में इन मजदूरों के काम करने की स्थिति गुजरात में गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों के काम करने की स्थिति की तुलना में कम कठोर और कम दयनीय है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें मिलने वाली मजदूरी काम के हिसाब से काफी कम और अपर्याप्त है।

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन ने असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों की स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करने की शृंखला में एक और अध्ययन को जोड़ा है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले विशाल संख्यक प्रवासी मजदूर मुख्यधारा में व्यापारिक फसल की अर्थव्यवस्था की तरक्की का गुणगान करने वाले आंकड़ो में मोटे तौर पर अदृश्य ही रह जाते हैं। सीएलआरए "कार्यवाही-अनुसंधान" की सटीक गुणात्मक पद्धति अपनाकर इन प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति को सामने लाने का प्रशंसनीय विचारशील काम कर रहा है।

दिसम्बर 2021

अध्यापक किरण देसाई

सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़, सूरत

# भूमिका

फरवरी महीने में डांग के सापूतरा से महाराष्ट्र की ओर यात्रा करते समय आपको क्षितिज पर फैले हुए अंगूर के फार्म दिखेंगे। कलवान से वानी की डिंडोरी की ओर जाते समय आप देखेंगे कि अंगूर की कटाई का समय आ गया है एवं कटाई के लिए नाशिक जिले के पड़ोस के ब्लॉकों तथा गुजरात के डांग जिले से मजदूरों के आने का इंतजार किया जा रहा है।

अंगूर उप-उष्णकटिबंधीय फल है जिसकी खेती भारत में होती है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह काफी उपजाऊ होती है। भारत में 1,52,000 हेक्टेयर में अंगूर की खेती होती है एवं इसका कुल उत्पादन 32,29,000 टन होता है। अंगूर की उत्पादकता 21.24 मेट्रिक टन/ हेक्टेयर है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीईडीए) के आंकलन के अनुसार 123 हजार हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती होती है, यह कुल जमीन का 2.01 प्रतिशत है। देश ने 2020-2021 में 193650.55 मेट्रिक टन अंगूर निर्यात किया एवं 2176.88 करोड़ रुपया/ 298.05 अमेरिकी डॉलर कमाया। लतागृह और कुंज (आर्बर स्येस्तेम) खेती करने का तरीका अपनाने के कारण भारत में अंगूर की उत्पादकता सभी देशों के बनिस्बत सबसे ज्यादा है *[3]। इस व्यवस्था में अंगूर की खेती करने के लिए पेड़ एवं झाड़ उगा कर लताओं को मंडप की तरह बनाये जाते हैं।

भारत में मुख्य तौर पर महाराष्ट्र , कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ देश के उत्तरी-पश्चिम राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती होती है। यहाँ उद्धृत एपीईडीए स्रोत के अनुसार देश में अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन एवं उत्पादकता महाराष्ट्र में है, यहाँ देश के कुल अंगूर का 81.22 प्रतिशत उत्पादन होता है।

महाराष्ट्र में नाशिक एवं सांगली में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन होता है। इसके अलावा राज्य के अहमदनगर,पुणे, सतारा, शोलापुर एवं ओस्मानाबाद जिलों में भी अंगूर की खेती होती है। आज के समय में मराठवाड़ा के लातूर जिले में भी अंगूर की खेती होने लगी है। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से अंगूर उत्पादन में नाशिक एवं सांगली जिले काफी आगे हैं। पश्चिम घाट के पूर्व में स्थित नाशिक के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में अंगूर की खेती होती है, यहाँ की काली मिट्टी एवं मौसम अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है।

---

2. http://agriexchange.apeda.gov.in/prodgallery/prdprofile_moa.aspx?hscode=08061000
3. http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/SubHead_Products/Grapes.htm
4. आर्बर एक उद्यान संरचना है जिस पर पौधे और लताएं उग सकती हैं

अध्याय 1

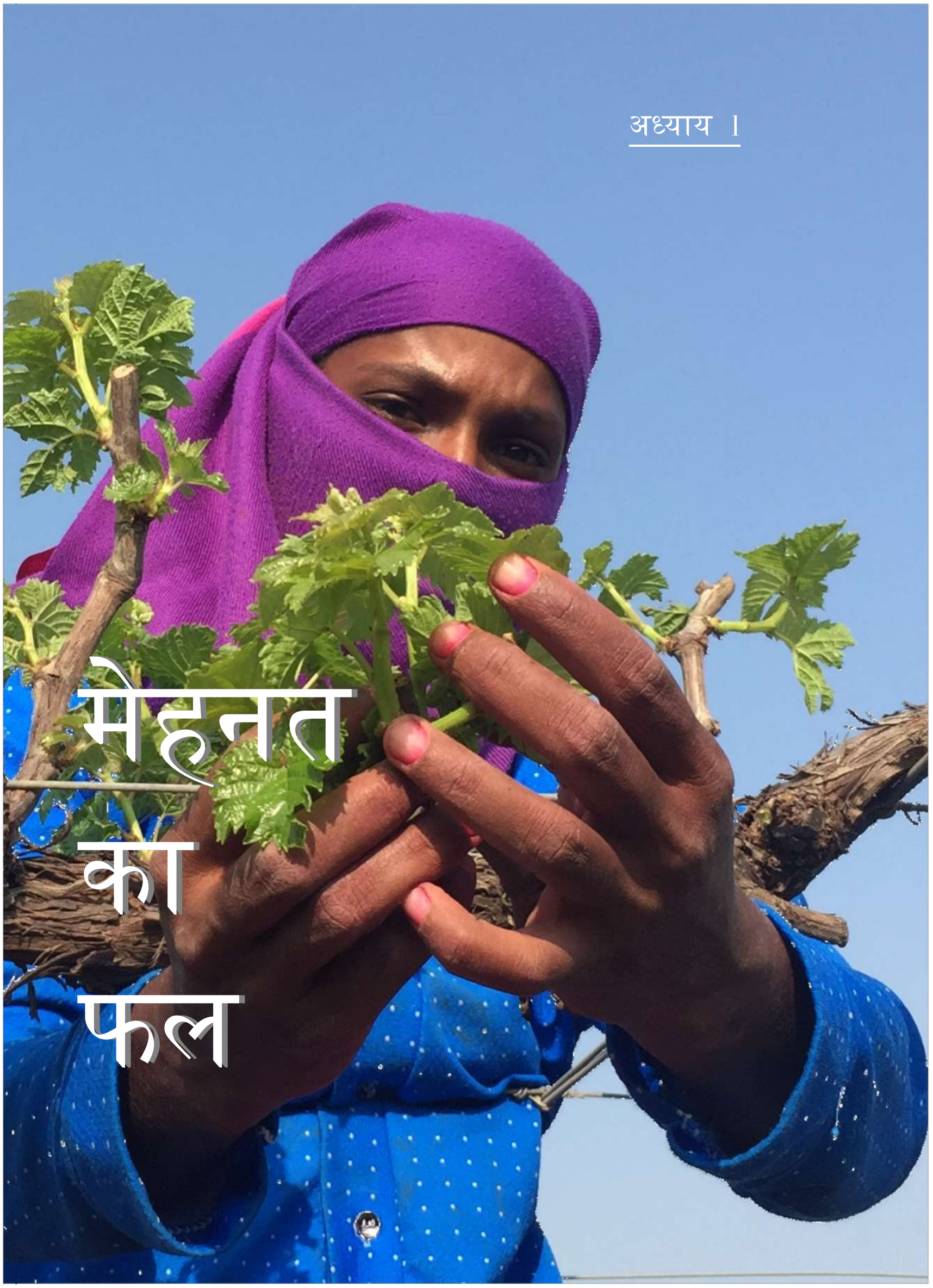

# मेहनत का फल

महाराष्ट्र में 105.50 हजार हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती होती है। राज्य में 2020-2021 में लगभग 2286.44 हजार मेट्रिक टन की पैदावार हुई। इस दौरान भारत ने 246.107 मेट्रिक टन अंगूर का निर्यात किया, इसकी कीमत 2298.47 करोड़ रुपए थी। इसका 80 प्रतिशत निर्यात अकेले महाराष्ट्र ने किया।

डांग में यात्रा के दौरान प्रोजेक्ट टीम का ऐसे मजदूरों से संपर्क हुआ जो अंगूर के बागों में काम करने के लिए महाराष्ट्र के उत्तर स्थित नाशिक जिला में पलायन करते हैं। इन मजदूरों से कई बार संवाद के बाद हम अंगूर की खेती में काम करने की स्थिति के बारे में कुछ धारणा बना पाये। टीम के सदस्य समझना चाहते थे कि अंगूर के खेतों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की स्थिति अन्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की स्थिति से किसी भी मायने में बेहतर है या नहीं । क्या इस फल से देश एवं राज्य को जो आर्थिक समृद्धि मिली है वह थोड़ा बहुत रिस कर मजदूरों तक भी पहुंचती है? टीम ने अंगूर के फार्मों में काम करने के लिए पलायन करने वाले मजदूरों के काम करने एवं रहन-सहन की स्थिति का अध्ययन करने का प्रस्ताव पेश किया।

इस परिप्रेक्ष्य में आरएलएस के प्रोजेक्ट टीम ने इलाके के भू-परिदृश्य के बारे में कुछ धारणा बनाने एवं अंगूर की खेती में श्रम प्रक्रिया के संबंध में प्रारम्भिक समझ बनाने के लिए फरवरी 2021 में नाशिक जिले में कलवान, डिंडोरी एवं निफाड़ का दौरा किया।

अंगूर काटने वाले मजदूरों के समूह के साथ टीम वानी के लेबर चौक पर मिली। मजदूरों का यह समूह अपने सामानों के साथ अंगूर की कटाई के लिए पहुंचा था। यह काम फरवरी एवं मार्च महीने तक चलेगा। इस समूह के साथ चर्चा में कुछ मजदूर ऐसे मिले जिन्होंने सितंबर से जनवरी के बीच अंगूर के खेतों में काम करने के लिए पलायन किया था। इन मजदूरों को स्थानीय भाषा में टेंडर मजदूर कहा जाता है। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में अंगूर के खेतों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की हालत पर हालिया किसी अध्ययन की गैर-मौजूदगी में हमें इतनी ही जानकारी मिल पायी। मौजूदा अध्ययन नाशिक के अंगूर की खेती में प्रवासी खेत मजदूरों की भूमिका एवं इस खेती में श्रम प्रक्रिया, प्रवासी खेत मजदूरों को काम पर रखने की प्रक्रिया तथा काम करने की स्थिति का दस्तावेजीकरण करने की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। इस जरूरत के मद्देनजर अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य तय किया गया है

- पलायन क्षेत्र एवं अंगूर की खेती में लगे प्रवासी खेत मजदूरों का सामाजिक-जातिय पृष्ठभूमि का मानचित्रण
- मजदूरों के साथ की गयी संविदा व्यवस्था की प्रक्रिया
- काम करने की स्थिति, काम की व्यवस्था एवं उसके अनुसार तय की गयी मजदूरी का अध्ययन

5. https://www.ijcmas.com/special/11/A.V.%20Mhetre,%20et%20al.pdf
6. http://agriexchange.apeda.gov.in/prodgallery/prdprofile_moa.aspx?hscode=08061000

# अध्याय 2

## साहित्य की समीक्षा

# भारत में अंगूर की खेती का पता लगाना

***भारत में अंगूर उत्पादन की विकास की लेखा-जोखा***

भारतीय उपमहादेश में स्थानीय उपभोग के लिए सदियों से अंगूर का उत्पादन होता आ रहा है। भारत में 1300 ई.पू से अंगूर की खेती का चलन होने का प्रामाणिक सबूत है। यह सबूत अफ़ग़ानिस्तान एवं परसिया के व्यापारियों से मिलता है (टोडकारी,2012)। हालांकि व्यापार के लिए अंगूर की खेती पिछले 60 साल से चल रही है। भारत में व्यापार के लिए अंगूर उत्पादन का चलन बिना बीज के अंगूर के किस्म विशेष रूप से थॉमसन आने के बाद शुरू हुआ। इस किस्म का उपयोग 60 के दशक में महाराष्ट्र में शुरू हुआ (गावन्दे,2021)। नाईक (2006) ने अंगूर की खेती का विकास क्रम एवं संस्थानिक विकास पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से 60 का दशक अंगूर की खेती में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण

था। इस दशक में एक महत्वपूर्ण संस्थानिक विकास हुआ। 1961 में अंगूर की खेती करने वाले 25 उत्पादकों ने महाराष्ट्र राज्य अंगूर उत्पादक संघ का गठन किया। यह संघ सरकार से आयात शुल्क कम करवाने में सफल हुआ एवं सदस्यों को खेती के लिए जरूरी रसायन मुहैया कराया। नाईक ने अंगूर के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करने में सरकार की भूमिका पर जोर दिया। 80 के दशक के शुरुआती सालों में सरकार ने अंगूर कटाई के बाद जरूरी तकनीकी विकसित करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश की। सरकार के प्रयास ने अंगूर उत्पादक, व्यापारी एवं सहकारी समितियों को उनके उत्पाद को सरकारी एजेंसी को बेचने के लिए उत्साहित किया। निर्यात कड़ी को 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बनने से मजबूती मिली। केंद्र सरकार ने 1986 में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीइडीए) का गठन किया। इस प्राधिकरण का मुख्य काम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पाद एवं प्रसंस्कृत खाद्य को विकसित करना है। इन संस्थाओं का अंगूर उत्पादन पर एकतरफा जोर देने को नाईक ने इनकी मुख्य कमजोरी बताया। इस वजह से घरेलू बाजार में अंगूर की पूर्ति बढ़ गयी। नाईक का मानना है कि निजी उत्पादकों द्वारा भारत के अंगूर निर्यात की संभावना को प्रदर्शित करने के बाद ही सरकार ने निर्यात में भूमिका निभाना शुरू किया। अंगूर उत्पादकों द्वारा निर्यात को समर्थन देने के लिए 1991 में स्थापित महाग्रेप्स ने अंगूर निर्यात में भारत को मजबूती दिलाने में अहम भूमिका अदा की। नाईक ने 1950-1989 के बीच अंगूर उत्पादन में लगातार वृद्धि में इस तरह के संस्थानों की अहम भूमिका को रेखांकित किया। 1960 से **1990** के बीच पूरी दुनिया के अंगूर उत्पादन में भारत का हिस्सा 0.16 से बढ़कर 0.74 हो गया (नाईक,2006)। यह दिखाता है कि किस तरह 60 के दशक से संस्थानों के विकास एवं तकनीकी तरक्की ने भारत में अंगूर उत्पादन की वृद्धि को सुगम किया है।

रथ (2003) ने अपने लेख में बताया कि भारत में अंगूर उत्पादन के लिए 1991 बहुत अहम रहा। इसी साल भारत ने कृषि के आधारभूत ढांचों के आयात पर से आयात शुल्क घटाया एवं यूरोप के बाजार में भारत के ताजे अंगूरों का निर्यात करने के लिए अंगूर उत्पादकों की एक सहकारी समिति अस्तित्व में आयी। भारत में 1960-61 में सिर्फ 582 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती होती थी, 2018-2019 में यह बढ़कर 1,39,000 हेक्टेयर हो गयी। आज भारत में 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती होती है एवं कुल 31,25,000 टन अंगूर का उत्पादन होता है (नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, 2021)। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन करने वाला राज्य बन गया। राज्य का अंगूर उत्पादन क्षेत्र जहां 1990 में 14200 हेक्टेयर था वहीं 2001-2002 में यह बढ़कर

7. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/Nashik_DSA_2021.pdf

33,836 हेक्टेयर हो गया। महाराष्ट्र के सिर्फ नाशिक जिले में राज्य के दो-तिहाई अंगूर का उत्पादन होता है। यहाँ राज्य में सबसे ज्यादा जमीन पर अंगूर की खेती होती है। भोसले ने 2001-2002 में नाशिक जिले में 18,833 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर के उत्पादन का आंकड़ा उद्धृत किया है। नाशिक जिले में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन निफाड, नाशिक डिंडोरी एवं चाँदवाड़ ब्लॉक में होता है। जिला की अंगूर उत्पादन क्षेत्र का 78 प्रतिशत सिर्फ निफाड एवं डिंडोरी तालुका में है एवं जिले के कुल अंगूर उत्पादन का 80 प्रतिशत उत्पादन यहाँ होता है (शंकर, 2012)। महाराष्ट्र के हाल के आंकड़े के अनुसार 2017-2018 में 1,05,500 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती हुई एवं 22,86,440 मेट्रिक टन अंगूर का उत्पादन हुआ। सबसे ताजे आंकड़े के अनुसार पूरे देश के अंगूर उत्पादन में 78.3 प्रतिशत महाराष्ट्र का योगदान है(म्हेतरे आदि 2020)। नाशिक जिले में 2020-2021 में 61,680 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती हुई है *[1](स्रोत डाइरेकटॉरेट ऑफ इक्नोमिक्स एंड स्टाटिस्टिक, महाराष्ट्र )।

ऊपर दिये गए आंकड़ों से साफ है कि अंगूर की खेती के क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। एनसीपीएएच की रिपोर्ट में भारत में कृषि-नीति में बदलाव एवं सुधार के बाद सीमांत किसानों का अंगूर की खेती में हिस्सा लेने की ओर इशारा किया है। आंकलन के अनुसार नाशिक में लगभग 30,000 किसान लगभग 20,000 एकड़ जमीन पर अंगूर की खेती करते हैं। सिंह **(2016)** का मानना है कि ज्यादा जमीन पर अंगूर की खेती होने से निर्यात बाजार और मजबूत हुआ है। अंगूर की खेती के श्रम प्रधान होने एवं अंगूर की खेती का क्षेत्र बढ़ने के कारण ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। इस तरह से अंगूर की खेती के लिए प्रवासी मजदूरों की जरूरत अपरिहार्य हो जाती है।

**अंगूर की खेती में श्रम प्रक्रिया:** अंगूर की खेती में छह फलाद्रूामिकी (फेनोलॉजिकल) चरण होते हैं। कली निकलना, कुसुमित होना, बेरी सेट, बेरी का बढ़ना, वेरिसन और फसल (कड़भाने और मानेकर, 2021)। प्रत्येक चरण में लताओं की छंटाई (वर्ष में दो बार), जुताई, उर्वरक, अनुत्पादक शाखाओं की छंटाई, दोषों और रोग की निगरानी और कीटनाशक का प्रयोग करना, प्रत्येक शाखा पर सबसे अच्छे गुच्छों का चयन करना और बाकी को तोड़ना, वांछित गुणवत्ता और आकार के लिए गुच्छों की काट-छाँट करना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। मजदूरों को अप्रैल में छंटाई, सहायक कलियों को हटाने, उप-कैनिंग, पिंचिंग, असफल अंकुरों को हटाने, डिप्पिंग, पतला करने, ग्रिडलिंग, कागज लपेटने आदि काम करने पड़ते है (सिंह, 2016)। सेलव्यन (2012) ने अंगूर के घरेलू बाजार के लिए उत्पादन एवं निर्यात के लिए उत्पादन एवं पैकिंग की श्रम प्रक्रिया तथा गतिविधियों में अंतर होने के बारे में बताया। अंगूर की खेती करने के समय एवं कटाई तथा उसके बाद की सभी प्रक्रिया गुणवत्ता मानक द्वारा प्रभावित होती है। इन्होंने ब्राज़ील में अंगूर की खेती की प्रक्रिया का अध्ययन किया है एवं घरेलू बाजार तथा निर्यात के बाजार के लिए अंगूर उत्पादन में अलग–अलग श्रम प्रक्रिया की तुलना की है। निर्यात किये जाने वाले अंगूर के उत्पादन में 34 प्रक्रियाओं की जरूरत होती है जबकि घरेलू उपभोग के अंगूर के उत्पादन में सिर्फ 9 प्रक्रियायें होती हैं।

अंगूर उत्पादन की प्रक्रिया सघन श्रम की मांग करती है। सिंह (2016) ने अपने अध्ययन में बताया कि अंगूर की कटाई में किसी भी तरह की तकनीक श्रम की जरूरत को कम नहीं कर सकता। एक एकड़ पर होने वाले अंगूर को निर्यात के लिए तैयार करने में 20 दिन तक छः मजदूरों की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि अंगूर की खेती में पूरा समय लगाने वाले मजदूर को साल में 160 दिन रोजगार मिल सकता है। रथ (2003) ने रेखांकित किया कि निर्यात के लिए पतला करने तथा डिप्पिंग की जरूरत के कारण अंगूर के काम में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने अंगूर उत्पादन की सभी प्रक्रिया को कुशल काम होने पर जोर दिया। उनके विचार में इस काम को अकुशल काम की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए।

रथ ने सामान्य तौर पर मजदूर एवं खासकर कुशल मजदूरों के महत्व पर कहा:

'वे उस आधार का निर्माण करते हैं जिस पर यह पूरा उद्यम खड़ा है। अंगूर के नये बाग लगाना और गुच्छों की कांट-छांट, साफ-सफाई एवं उपचार के सभी तरीके कुशल मजदूरों के बगैर नहीं हो सकते हैं। कुशल मजदूरों के बगैर निर्यात करने के लिए बड़े गुच्छों के बड़े अंगूर नहीं होते (2003, पृष्ठ 481)।

इस तरह से अंगूर उत्पादन के श्रम प्रधान होने एवं इसके लिए कुशल मजदूरों की जरूरत होने पर ज़ोर दिया गया। अंगूर उत्पादन के फलने-फूलने के लिए किसान खेत मजदूर खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को

पूरे सीजन के लिए काम पर रखता है।

**नाशिक के अंगूर खेतों में पलायन प्रवाह:** भारत में अंगूर की खेती दो तरह के मजदूरों पर निर्भर है, नियमित कृषि मजदूर एवं कटाई मजदूर। इनमें स्थानीय खेत मजदूर एवं प्रवासी मजदूर दोनों शामिल हैं। सिंह (2016) के अनुसार किसान सिर्फ घरेलू बाजार में बिकने वाले अंगूर की कटाई के काम में स्थानीय मजदूरों को रखता है। निर्यात के लिए किसानो से अंगूर खरीदने वाले मजदूरों की पूर्ति करते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्थानीय स्तर पर मजदूर जुटाने तथा उनके प्रबंधन के नेटवर्क का लाभ गन्ना उत्पादन एवं गन्ना कटाई के काम की तरह अंगूर उत्पादन के काम में भी मिला ।

महाराष्ट्र के नाशिक जिले एवं गुजरात के डांग जिले से कृषि मजदूर मुख्यतः अंगूर उत्पादन क्षेत्र में पलायन करते हैं। अंगूर की खेती में लगभग 7 लाख कृषि मजदूर काम करते हैं। इनमें लगभग 3 लाख आदिवासी मजदूर हैं। दिशा फ़ाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार नाशिक शहर में लगभग 4 लाख अस्थायी प्रवासी मजदूर हैं। इन प्रवासी मजदूरों में अधिकांश नाशिक के आस-पास के आदिवासी ब्लॉकों एवं गुजरात के मुख्यतः डांग जिले से आते हैं। इस रिपोर्ट में नाशिक के पेठ एवं त्रिंबक तालुका से 80 प्रतिशत परिवारों के पलायन की बात कही गयी है। ज़्यादातर परिवार मुख्यतः कृषि मजदूर के रूप में नाशिक ,डिंडोरी, निफाड एवं गिमारे में पलायन करते हैं। लेररिंगटन-स्पेनसर (2014,पृष्ठ 72) ने अपने अध्ययन में नाशिक जिले के पेठ एवं सुरगना ब्लॉक से डिंडोरी एवं निफाड में पलायन करने की रिपोर्ट की है।

डांग जिला अंगूर की खेती एवं गन्ना कटाई के लिए पलायन करने वालों का बड़ा स्रोत है। एनडेंजर्ड लाइवलिहूड ने रिपोर्ट में बताया गया है कि डांग जिले के कृषि मजदूर पिछले 20 सालों से पलायन करते आ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जिले के तुलनात्मक रूप से सम्पन्न अहवा ब्लॉक से 27 प्रतिशत परिवार मौसमी पलायन करते हैं एवं लगभग 48-60 प्रतिशत परिवार सुबीर एवं वघाई क्षेत्र से मौसमी पलायन करते हैं। मुख्यतः गन्ना कटाई के काम के लिए पलायन होता है। बहुत बड़ी संख्या में डांग एवं नाशिक जिले के कृषि मजदूर अंगूर की खेती के काम में लगे हैं। हालांकि पलायन प्रवाह को समझने के लिए अंगूर की खेती में काम के लिए पलायन करने वालों का आंकड़ा नहीं है।

**भारत तथा दुनिया के अन्य देशों में अंगूर की खेती में काम करने की स्थिति:** काम का समय मुख्यतः ओक्टोबर के छँटाई के समय से लेकर कटाई के पहले

8. https://csrbox.org/India-CSR-projects-proposal_Disha-Foundation_Promotion-of-education,-special-education-and-vocational-skills_455
9. http://www.dishafoundation.ngo/nashikappi

तक का होता है या किसी विशेष तरह के काम का अनुबंध रहता है। सिंह (2016) का कहना है कि खेत में किसी एक तरह का काम अनुबंधित मजदूरों का समूह करता है। उनके अनुसार ओक्टोबर के छँटाई के समय से कटाई की पहले के समय के काम के लिए प्रति एकड़ 42000रुपया एवं अप्रैल की छँटाई से कटाई तक के लिए 72000 रुपया के बीच प्रति एकड़ भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि सीजन से पहले ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाता है ताकि पीक सीजन में मजदूरों की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। मालिक किसान हर साल एक ही मजदूरों के समूह को काम पर रखने की कोशिश करता है । सभी तरह के काम, विशेष रूप से छँटाई, रसायन का प्रयोग, पतला करने जैसे काम के लिए अनुभव एवं कुशलता की जरूरत होती है। खेत में काम करने वाले 60 प्रतिशत नियमित मजदूर होते हैं, शेष मजदूर अनियमित रूप से काम करते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि इस काम में लगने वाले अधिकांश युवा है एवं जिनकी औसत उम्र 28 साल है। ये सभी लोग कृषि क्षेत्र में 10 साल से काम करते आ रहे हैं। इनके काम करने के अनुभव का औसत साल कम है क्योंकि यह काम पिछले कुछ दशकों से ही शुरू हुआ है। सिंह के अनुसार अंगूर की खेती का काम दूसरे कृषि काम से अलग है एवं इसमें ज्यादा मजदूरी मिलती है। अंगूर की खेती 20-30 साल लंबी चलने वाली खेती है, इसलिए इसमें रोजगार की स्थिरता ज्यादा है एवं मजदूर इसमें ज्यादा कुशल होकर कुछ समय के लिए लाभ उठा सकता है।

सिंह (2013) ने अन्य खेत मजदूरों के बनिस्बत अंगूर की खेती में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बेहतर होने का जिक्र किया। अंगूर मजदूर नियमित रूप से सालाना मजदूरी बढ़ाने के लिए मोलतोल कर पाते हैं। इन मजदूरों को काम पर ले आने एवं काम से वापस ले जाने के लिए किसान जीप का इंतजाम करता है। इन मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी भी मिलती है। सिंह का कहना है कि इन मजदूरों के लिए ठेकेदार के माध्यम से अनियमित रोजगार एवं काम करने की स्थिति का मुद्दा बरकरार है। लेकिन सामान्यतः खेत मजदूरों के इस तबके को काम मिलने की संभावना, बेहतर मजदूरी, ज्यादा नियमित रोजगार मिलने एवं नियोक्ता से सम्मान मिलने जैसे मुद्दे में सुधार हुआ है। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी नहीं लागू होती है, इसके मद्देनजर उन्होंने राज्य की कारगर भूमिका नहीं होने का मुद्दा उठाया।

रथ (2003) ने अपने अध्ययन में अंगूर की खेती के औद्योगीकरण का असर एवं उसका मजदूरों के काम, उनके स्वास्थ्य एवं अंगूर मजदूरों की आर्थिक स्थिति से अंतरसंबंध पर रोशनी डाली है। उन्होंने इस अध्ययन के लिए पुणे जिले के अम्बेगाँव ब्लॉक के ठक्कर गाँव की अंगूर की खेती को चुना। रथ ने अंगूर उत्पादन की प्रक्रिया में कुशल मजदूरों की जरूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मुख्यतः अंगूर के बाग में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को रेखांकित किया। उनका ज़ोर महिलाओं के स्वास्थ्य पर है। रथ ने भारी बोझ उठाने के कारण कमर दर्द, धूप में ज्यादा देर तक काम करने के कारण सर दर्द एवं डोरमेक्स पेस्ट का उपयोग करने के कारण त्वचा संबन्धित समस्याओं पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने पेस्ट एवं कीटनाशक के असर से होने वाली त्वचा समस्या पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने महिला मजदूरों पर घर के काम के अतिरिक्त भार का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने अंगूर की खेती में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस काम को अच्छा अवसर बताया क्योंकि यह मजदूरों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

लेखों में संस्थाओं के विकास एवं निर्यात बाजार में सरकार की सक्रिय भूमिका के कारण अंगूर की खेती एवं उत्पादन बढ़ने पर रोशनी डाली गयी है। लेकिन मजदूरों के नजरिये से अंगूर उत्पादन में काम करने की स्थिति का विश्लेषण एवं उसके प्रभाव का अध्ययन एवं स्थिति का दस्तावेजीकरण बहुत कम हुआ है। हालांकि अंगूर की खेती के श्रम प्रधान होने का जिक्र अध्ययनों में बार-बार हुआ है लेकिन काम करने की स्थिति एवं मजदूरी नीति पर शायद ही कोई अच्छा अध्ययन हुआ है। अब तक के अध्ययनों में अंगूर की खेती के पलायन प्रवाह पर तफ़सीली ब्यौरा नहीं है।

# अध्याय 3

# अध्ययन पद्धति एवं पद्धतिगत ढांचा

यह अध्ययन सकारात्मक परिवर्तन को सुगम करने की ओर उन्मुख है। यह अध्ययन डाटा संग्रह करने के लिए मिश्रित पद्धति पर निर्भर किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप रणनीतिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से नमूनों का चयन किया गया। पलायन के दायरे का आंकलन करने के लिए श्रमशक्ति ऐप(एक इनहाउस एप्लिकेशन जिसका उपयोग काम के लिए गंतव्य स्थल पर पलायन करने वाले मजदूरों के साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या का मैपिंग करना है) के द्वारा बेसलाइन सर्वे किया गया। इससे नाशिक के अंगूर फर्मो में पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का पता लगाया गया। खेती का काम, श्रम प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दूसरी अनुसूची का उपयोग किया गया। यह मजदूरी, काम करने की स्थिति, काम करने की जगह पर होने वाली घटनाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित था। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, निर्देशित बातचीत एवं मजदूरों के साक्षात्कार द्वारा विस्तृत गुणात्मक जानकारी जुटायी गयी। इन दोनों पद्धतियों का उपयोग करके नाशिक के अंगूर बागों में काम करने वाले मजदूरों की काम करने की स्थिति के बारे में जमीनी एवं स्पष्ट तस्वीर खींची गयी।

यह अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में अंगूर के बागों में काम करने के लिए पलायन करने वाले मजदूरों के बारे में है। चयनित आबादी में दो तरह के मजदूर हैं। एक तरह के मजदूर वे हैं जो कम समय के लिए चक्राकार पलायन करते रहते हैं वहीं दूसरी तरह के वे मजदूर हैं जो पूरे सीजन के लिए पलायन करते हैं। पहला समूह जनवरी से मार्च महीने के बीच 30-45 दिन के लिए पलायन करता है। वे किसान की जरूरत के अनुसार सिर्फ अंगूर के गुच्छों की कटाई करते हैं। ये एक दिन में अलग-अलग जगहों पर कटाई करते हैं एवं इन्हें रोजाना दिहाड़ी मिलती है। दूसरे समूह के मजदूरों को स्थानीय भाषा में अनुबंधित मजदूर कहा जाता है, ये समूह में काम करते हैं एवं सितंबर से दिसम्बर के अंत तक (जब अंगूर फरवरी में कटाई के लिए तैयार होने लगता है) पूरे सीजन के लिए काम का ठेका लेते हैं। फरवरी 2021 में किए गए प्रारम्भिक दौरे एवं मई 2021 में प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार मजदूर मुख्यतः डांग ब्लॉक के अहवा एवं सुबीर तथा नाशिक ब्लॉक के सुरगना (गुजरात सीमा में नाशिक का उत्तरी ब्लॉक) से पलायन कर आते हैं। अध्ययन के लिए ब्लॉक तथा क्लस्टर का चयन फरवरी के प्रारम्भिक दौरे के समय हुई बैठक एवं पलायन के स्रोतों के दौरे के आधार पर किया गया।

फरवरी 2021 में प्रारम्भिक दौरे के समय टीम ने पाया कि अलग-अलग समूह के मजदूर अलग-अलग अवधि एवं अलग-अलग तरह के काम/व्यवस्था के लिए पलायन करते हैं। इसलिए पारिवारिक सर्वे में अलग-अलग अनुसूची को शामिल किया गया।

प्रवासी मजदूरों का एक समूह है जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय सितंबर के मध्य से दिसम्बर के अंत या जनवरी के मध्य तक (अंगूर के किस्म के अनुसार) काम करता है। दूसरा समूह सिर्फ कटाई के काम के लिये तुलनात्मक रूप से कम समय के लिए पलायन करता है। एक ऐसा समूह भी है जो कटाई के बाद काम करने के लिए आता है। । इस समूह में स्थानीय मजदूर होते हैं,जो बहुत कम समय के लिए काम करते हैं (श्रम प्रक्रिया शीर्षक अनुच्छेद में इस पर विस्तार से चर्चा की गयी है)। हमारे अध्ययन की जरूरत के अनुसार सिर्फ अनुबंधित प्रवासी मजदूरों के समूह एवं कटाई करने वाले प्रवासी मजदूरों की मैपिंग की गयी है। .

मजदूरों के मैपिंग का काम मई महीने में शुरू किया गया जब दोनों समूह के मजदूर पलायन स्रोत पर वापस आ गए थे। प्रवासी मजदूरों की मैपिंग करने के हमारे पहले के अनुभव के आधार पर अध्ययन टीम ने मजदूरों को उनके स्रोत में मैपिंग करना उचित समझा क्योंकि यहाँ वे अपने मालिकों/किसानों की निगरानी से दूर होंगे। इसके अलावा प्रारम्भिक दौरे के समय मजदूरों ने हमें बताया था कि उनके काम के स्वरूप के कारण उनके लिए दिन के समय अध्ययन में हिस्सा लेना संभव नहीं होगा।

अध्ययन टीम ने मई महीने के मध्य से अगस्त महीने तक मैपिंग का काम किया। जुलाई महीने में टीम ने मजदूरों के साथ समूह में चर्चा(फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन) की। इन चर्चाओं से हमें अंगूर की खेती एवं कटाई के काम की बारीकियाँ समझने में एवं मजदूर अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, यह पता चला। इन चर्चाओं से मौजूदा स्थितियों से हम परिचित हुए एवं जमीनी हकीकत के बारे में हमारी पुख्ता समझदारी बनी।

टीम ने उत्तरदाताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ समूह में चर्चा की एवं निर्देशित बातचीत की पद्धति का सहारा लिया। जमीन मालिकों का लगातार टकटकी लगाकर

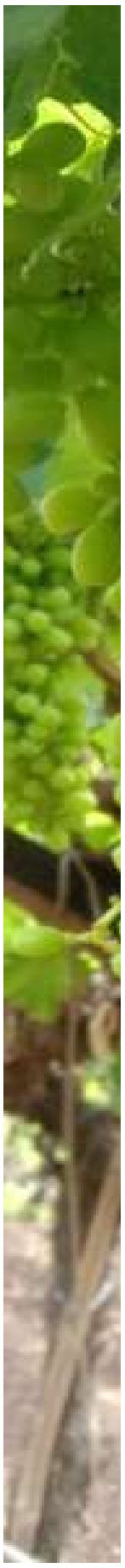

देखते रहने एवं इस वर्ग द्वारा अध्ययन टीम को खेत मजदूरों के साथ संवाद नहीं करने देने की संभावना को देखते हुए हमने डांग जिले के सुबीर एवं अहवा तथा महाराष्ट्र के नाशिक जिले के सुरगना के गाँव-गाँव में मजदूरों के साथ समूह में चर्चा की। टीम ने डिंडोरी, वानी, निफाड एवं नाशिक जैसे गंतव्य का भी दौरा किया। टीम ने मजदूरों के काम करने की स्थिति, श्रम प्रक्रिया एवं रहन सहन की स्थिति का मैपिंग किया एवं उनका दस्तावेज बनाया।

गंतव्य में अलग-अलग हितधारकों की सोच को ठोस रूप से समझने के लिए समूह में चर्चा की स्क्रिप्ट तैयार की गयी थी। इसमें मजदूरों के साथ चर्चा के अलावा किसानों से चर्चा भी शामिल थी। इसका मकसद मालिक किसानों की प्रवासी मजदूरों के प्रति क्या सोच है, इसके बारे में समझदारी बनायी जा सके।

आंकड़े जुटाने के दौरान हमारे डाटा टीम के सदस्यों को मजदूरों के विरोध का सामना करना पड़ा। वे हमारी टीम के साथ उनके बारे में जानकरी साझा करने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर परिवार का तफ़सीली ब्यौरा देने के लिए वे तैयार नहीं थे। हमारे टीम के सदस्यों ने बताया कि महामारी एवं पिछले तालाबंदी के समय मजदूरों के अनुभव के कारण वे डाटा संग्रह करने वाली टीम की मंशा को लेकर आशंकित थे। हमारी टीम को लोग अक्सर सरकारी नुमाइंदे समझते थे। उन्हें लगता था कि सरकार के लोग महाराष्ट्र से आए मजदूरों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं एवं ये लोग मजदूरों को जबरन कोरेनटाइन में डाल देंगे। डाटा टीम को कोरोना महामारी के तेजी से फैलने वाले समय मई तथा जून महीने में मजदूरों का सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा।

मॉनसून के समय भी डाटा टीम का काम प्रभावित हुआ। मॉनसून के समय मजदूर बुआई, रोपाई तथा अन्य कृषि गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं। टीम ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अक्सर मजदूरों से खेत में मिलना पड़ता था, जब वे मॉनसून फसल के लिए खेत तैयार कर रहे होते या धान की रोपाई कर रहे होते। पूरे जुलाई तथा अगस्त महीने में समूह में चर्चा के लिए अक्सर मजदूर सिर्फ देर शाम में ही मिलते थे। खेत में पूरे दिन मेहनत करने के बाद मजदूर इतने ज्यादा थके रहते थे कि उनके लिए लंबी चर्चा में हिस्सा लेना संभव नहीं होता था। हमारी टीम के स्थानीय संपर्क, उनके द्वारा मजदूरों की शंका को दूर करने के लिए बार-बार क्षेत्र का दौरा करने एवं टीम सदस्यों की बढ़ती जान पहचान ने समूह में चर्चा के लिये अहम भूमिका निभायी। हालांकि इसके बावजूद मजदूरों की मैपिंग का काम काफी हद तक प्रभावित हुआ। महिला मजदूरों की मैपिंग करने का काम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। देर शाम को जब मजदूरों से चर्चा हो रही होती, तब महिला मजदूर अक्सर खाना बनाने या बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। इस कारण से अध्ययन में महिला मजदूरों की भागीदारी एवं उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुई। इस अध्ययन की यह एक महत्वपूर्ण सीमा एवं अहम कमजोरी है। हमें इस सीमा का तीव्र अहसास है।

# अध्याय 4

# अंगूर के बागों में श्रम प्रक्रिया का मानचित्रण

काम एवं हमारे निष्कर्षों के बारे में चर्चा करने से पहले अंगूर की खेती से जुड़ी श्रम प्रक्रिया को समझना जरूरी है। निफाड, वानी एवं नाशिक में सचिन महाले जैसे किसानों के साथ बातचीत ने टीम को अंगूर की खेती की प्रक्रिया एवं इसमें होने वाले खर्च के बारे में समझ बनाने में मदद की। सचिन महाले पिछले 8 सालों से निफाड में अंगूर की खेती करते आ रहे हैं। अंगूर की खेती के अलग-अलग कामों के लिए वह प्रवासी मजदूरों को काम पर रखते है।

किसान एवं मजदूरों से बातचीत में पता चला कि अंगूर फार्मों में काम कटाई के बाद से शुरू होता है। अप्रैल महीने में टहनी की छँटाई के बाद अंगूर की बेल को फलने –फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है।

सचिन ने श्रम प्रक्रिया एवं एक एकड़ पर अंगूर की खेती की लागत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने हर सीजन में अंगूर की खेती के कामों के बारे में बताया।

- पौधा रोपण – नयी फसल के लिये
- पौधों के लिए कलम बांधना
- छँटाई एवं पत्तों को हटाना
- नए छंटे हुए अंकुरों पर पेस्ट लगाना
- पत्तेदार टहनियाँ एवं पत्ते हटाना
- फलों के गुच्छों को कई बार घोल में डुबाना जिससे वह तेजी से बढ़ सके एवं उच्च गुणवत्ता वाला फल मिले।
- गुच्छों को पतला करना ।
- गुच्छों को तार पर लटकाना, इससे उन्हें सहारा मिलेगा, धूप एवं हवा मिलेगी।
- ज्यादा धूप से बचाने के लिए टहनियों को ढकना, ज्यादा धूप से अंगूर की बेरी सूख जाती है . किशमिश बनाना
- फल की कटाई
- अगले मौसम के लिए अंकुर का कतरन/कटाई करना।

सचिन ने समझाया कि एक अंगूर का पौधा औसत 10-12 साल फल देता है। एक एकड़ जमीन पर 1000 पौधे लगाये गये थे। इसमें एक पौधे से 5 फीट की दूरी पर दूसरा पौधा लगाया था। पौधों की पंक्तियों के

10. उत्तरदाताओं के नाम बदल दिए गए हैं
11. किशमिश उगाना : अत्यधिक धूप में रहने के कारण अंगूर के बेरी का सूखना

| Table 1: Cost per Acre of Grape Cultivation | | |
|---|---|---|
| Expenses | First Year (Rs) | Subsequent Years (Rs) |
| Drip irrigation | 25000 | - |
| Installation of arbour system and trellis lines | 200000 | - |
| Bamboo | 35000 | - |
| Fertilisers and Solutions | 70000 | 70000 |
| Labour cost (Contractual workers +Harvesters) | 60000 | 60000 |
| Labour Cost - April Cutting | 10000-12000 | 10000-12000 |
| Misc. expenses | 20000 | 20000 |
| Total expenses per season | 4,20,000- 4,22,000 | 1,60,000-1,62,000 |

बीच 8 फीट की दूरी रखी गयी थी। पहले साल अंगूर की खेती करने के समय किसान को आर्बर व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। इसमें ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एल आकार के लोहे की छड़ लगायी जाती है। इसके अलावा तार लगाना एवं ड्रीप सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है।

पहले साल 100 क्विंटल अंगूर उत्पादन हुआ। लेकिन बाद के सालों में 150 क्विंटल उत्पादन होने लगा। यह आर. के सोनाका किस्म का अंगूर था। आसपास के क्षेत्रों में सुपर सोनाका, जुम्बों, जुम्बों ब्लैक, थॉमसन सीडलेस, एमएएम जुम्बों, शहद्री किस्म के अंगूर की खेती की जाती है।

सचिन ने हमें बताया कि उन्होंने 2019 में 4500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से अंगूर बेचा था। थोक खरीददार एवं खरीददार अक्सर अंगूर के बाग से सीधा किसानों से अंगूर खरीदते हैं। 2020 में तालाबंदी के समय उसे बहुत कम कीमत पर अंगूर बेचना पड़ा जिसके कारण वह मुश्किल से लागत की भरपाई कर पाये।

**श्रम की परिपाटी:** मजदूरों को काम पर लगाने के उद्देश्य से अलग-अलग तरह की श्रम प्रक्रिया को नीचे दी गयी श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है

*टहनियों की छँटाई (घेरा वार या शाखा वार)* – अप्रैल

*छत्र प्रबंधन के साथ अंगूर की खेती* – सितंबर से जनवरी

*कटाई* – फरवरी से मध्य अप्रैल

इन प्रक्रियाओं में अलग-अलग समूह के मजदूरों से नीचे दिये गए काम लिये जाते हैं

अंगूर उगाने वाले/ टेंडर मजदूर– मजदूरों का यह समूह सितंबर महीने में काम करने आता है। ये समूह में काम करते है एवं पलायन गंतव्य में 4-5 महीने रहते हैं।

*अंगूर कटाई करने वाले*– मजदूर कम समय के लिए पलायन करते हैं एवं अंगूर काटने के लिए नाशिक के अलग-अलग जगहों पर पहुँचते हैं। मजदूर अपने गंतव्य पर रहते हैं एवं लगातार हर 4-5 दिन में एक गाँव से दूसरे गाँव पहुँचकर अंगूर कटाई का काम करते हैं।

*अप्रैल में कटाई करने वाले या अंगूर की टहनी काटने वाले* – अंगूर की कटाई हो जाने के बाद अगले मौसम के लिए खेत को तैयार करने के लिए अंगूर की टहनियों को काटा जाता है। अक्सर स्थानीय मजदूर कटाई करते हैं।

प्रारम्भिक दौरे के समय हमारे टीम को पता चला था कि डांग एवं सुरगना के मजदूर दो मौसम में पलायन करते हैं। मजदूरों के पहले समूह में 10-12 लोग टेंडर के तहत सितंबर से दिसम्बर महीने तक अंगूर के बागों में काम करने के लिए पलायन करते हैं। ये मजदूर एक एकड़ के अंगूर के बाग में लगातार काम करते हैं एवं वे बाग में फल उगाने एवं छत्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस समूह को सीजन में प्रति एकड़ बाग के लिए 22000-25000 रुपए में अनुबंधित किया जाता है। नाशिक के अलग–अलग ब्लॉकों में रेट में अंतर है। इस समूह के मजदूरों को स्थानीय भाषा में ठेका (टेंडर) मजदूर कहा जाता है। मजदूरों का यह समूह एक साथ कई प्लॉट (सभी प्लॉट एक एकड़ का होता है) का ठेका लेता है एवं सभी प्लॉट्स पर रोटेशन में अंगूर उगाने एवं छत्र प्रबंधन के सभी काम (जैसा की सचिन ने विस्तार से बताया था) करता है।

इस चर्चा से पता चला कि टेंडर के तहत किये गये काम के अलावा मजदूरों का यह समूह कोई विशेष काम पीस रेट पर भी करता है। सूबीर के अश्विन एवं सुभास ने समझाया कि अंगूर के बाग में काम करने के समय एक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजदूरों को इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान मुक़द्दम उन्हें छोटे प्लॉट में पीस रेट पर काम करवाने ले जाता है। इन कामों के रेट नीचे दिये गये हैं

दोनों ने बताया कि इस तरह से मजदूरों से काम लेने पर किसान को हर प्लॉट पर 35000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन संविदा के तहत उसे औसत 22000-24000 रुपये देने पड़ते हैं।

मजदूरों का दूसरा समूह सिर्फ 30-45 दिनों के लिए पलायन करता है। इन मजदूरों को सिर्फ अंगूर की कटाई करनी पड़ती है। मजदूरों के समूह अलग-

Table 2: Rates for piece rate tasks for 1 plot

| | Tasks | Rate (per acre) |
|---|---|---|
| 1 | Removing of leaves, lateral shoots and paste application | Rs.5000 |
| 2 | Dipping | Rs. 4500 each dipping |
| 3 | Thinning (takes over three to four days) | Rs. 12000 |
| 4 | Pruning and canopy management (after paste application) | Rs. 4500 |

अलग ब्लॉक के लेबर चौक पर आते हैं। इन मजदूरों को दिहाड़ी पर काम दिया जाता है। इन मजदूरों को स्थानीय भाषा में कटाई मजदूर कहा जाता है।

स्थानीय मजदूरों के समूह अप्रैल महीने में अंगूर की कटाई के बाद काम करने के लिए आते हैं। इन्हें अप्रैल महीने में कटाई करने वाला कहा जाता है। यह समूह की ज़िम्मेदारी होती है कि टहनी को इस तरह से काटा जाय कि सुप्त कलियाँ फूट सकें एवं अगले मौसम के लिए तैयार हो सकें।

***अंगूर खेती की प्रक्रिया:***

"अप्रैल में कटाई करने वालों" द्वारा अगले मौसम की अंगूर खेती के लिए लताओं को तैयार कर लेने के बाद अंगूर की खेती का काम शुरू होता हैं। अप्रैल में कटाई करने वाले फरवरी तथा मार्च महीने में अंगूर कटाई के बाद अपना काम शुरू करते हैं। इस दौरान सुप्त कलियों की लताओं को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सितंबर में जब मजदूर काम करने के लिए आते हैं तब फूल खिल गए होते हैं एवं वे स्व-परागण करने लगते हैं एवं फल आकार लेना शुरू करते हैं। इस समय लताओं पर हरा रंग के अंगूर के गुच्छे दिखने लगते हैं। सभी लताओं के फूल नहीं खिल पाते हैं एवं स्व-परागण नहीं कर पाते हैं, इसलिए फल का आना जरूरी सूचक है। अगर बहुत सारी लताओं पर फल नहीं आते हैं तो वह निश्चित रूप से कम पैदावर होने का प्रारम्भिक सूचक है।

सितंबर में आने वाले मजदूर पूरे सीजन छत्र का प्रबंधन करेंगे। इसके लिए वे फलों को प्राप्त होने वाली हवा एवं धूप को नियंत्रित करेंगे एवं समय पर छँटाई करेंगे। मजदूर पूरे मौसम अंगूर के एक एकड़ भूखंड में अंगूर की खेती के लिए जरूरी 11 कदम उठाएंगे। इसमें छत्र प्रबंधन काम की सभी प्रक्रियाओं के केंद्र में होगा। अंगूर को पकने के लिए सूरज की रोशनी की

आवश्यकता होती है, इसके बहुत अधिक होने से फल जल सकता है। इसलिए, उच्चगुणवत्ता वाली उपज को सुनिश्चित करने के लिए फल की देखभाल के अलावा छत्र प्रबंधन सबसे जरूरी काम बन जाता है। अंगूर बाग में काम करने वाले मजदूर पूरे मौसम लताओं की सभी पंक्तियों की ओर रुख करते हैं। इसतरह सितंबर महीने से मजदूर पत्ते एवं शाखाओं को पतला करने, अनुपयोगी टहनियों कोहटाने के कामों में लगे रहते हैं ताकि उपयुक्त फलों के गुच्छों को विकसित होने हेतु ऊर्जा एवं सही पोषण मिल सके।

डांग के शैलेश ने बताया कि मजदूरों का समूह जैसे ही नाशिक पहुंचता है, महिलाएं अतिरिक्त पत्तों को हटाना शुरू करती हैं। एक एकड़ के अंगूर के बाग में इस काम में एक दिन लग जाता है। अगले दिन मजदूर फूलों के गुच्छों को देखते हैं एवं उन फूलों के गुच्छों को काट देते हैं जो ठीक से बढ़ नहीं रहे होते हैं। यह एक जरूरी काम है क्योंकि अविकसित गुच्छों को काट देने से लताएं अपनी सारी ऊर्जा एवं पोषण सबसे अच्छे समूह में भेज पाती हैं। नतीजतन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले फल मिलते हैं। इसी समय नवोदित फलों के विकास में तेजी लाने के लिए पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अंगूर के जामुन के विकास में तेजी लाने और बढ़ावा देने के लिए कई तरह के घोलों में उन्हें बार-बार डुबाया जाता है। डुबाना जरूरी कदम है–जहां नवोदित फलों के गुच्छों को ग्रोथ बूस्टर में डुबोया जाता है। हाइड्रोजन साइनामाइड जैसे ग्रोथ रेग्युलेटर फूल आने की शुरुआत में मददगार होता है एवं इससे टहनी का विस्तार होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे फूल कम समय में खिलने लगता है।

अंगूर के जामुन में कलियाँ बनने के समय साइमोक्सैनिल (8%) और मैनकोज़ेब (64%) जैसे कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इन कीटनाशकों का उपयोग फंगसनाशी एवं डाउनी फफूंदी को कम करने के लिए किया जाता है। किसान आमतौर पर इस काम को छोटे ट्रैक्टर के द्वारा खुद करता है या इस काम को करवाने के लिए एक मजदूर को काम पर रखता है।

अंगूर के जामुन पकने लगने पर मजदूर अंगूर के पत्तों के छत्र से लगातार पत्तों को छँटाई करने लगता है ताकि फल और पक सके। किसान या मजदूर को अगर एक लता पर ज्यादा फल का गुच्छा दिखता है या असमान रूप से फल पकता हुआ दिखता है तो मजदूर अतिरिक्त फल को छाँट देता है या गुच्छे को पतला करता है।

इससे एक समान एवं अच्छी तरह से पके हुए फलों की संभावना रहती है ।

मजदूरों के समूह दिसम्बर के मध्य तक काम करते हैं। अगर किसान अंगूर को निर्यात करना चाहता है तो मजदूर फल को मधुमक्खियों एवं अत्यधिक धूप से बचाने के लिए गुच्छों को अखबार में अच्छी तरह से लपेट देने का अतिरिक्त काम करता है।

जनवरी के अंत से मजदूरों की टोली अंगूर की कटाई का काम करने के लिए नाशिक के अलग-अलग ब्लॉक में आना शुरू कर देती है। ये मजदूर लेबर चौक पर इंतजार करते हैं जहां से उन्हें किसान या स्थानीय ठेकेदार दिहाड़ी पर काम पर रखता है। हर दिन मजदूरों की टोली अलग-अलग प्लॉट पर काम करती है एवं किसानों की जरूरत के अनुसार अंगूर की कटाई करती है। यह काम 30-45 दिन तक चलता है।

फल कटाई का समय पूरा हो जाने के बाद अगले मौसम की तैयारी के लिए स्थानीय मजदूर टहनियों की छँटाई का काम शुरू करता है। यह काम अप्रैल में लगभग एक महीना चलता है एवं अगले सीजन के लिए टहनी फिर से बढ़ने लगती है। नीचे दिये गये रेखा-चित्र से पाठकों को अंगूर की खेती की प्रक्रिया के बारे में समझ बनाने में मदद मिलेगी।

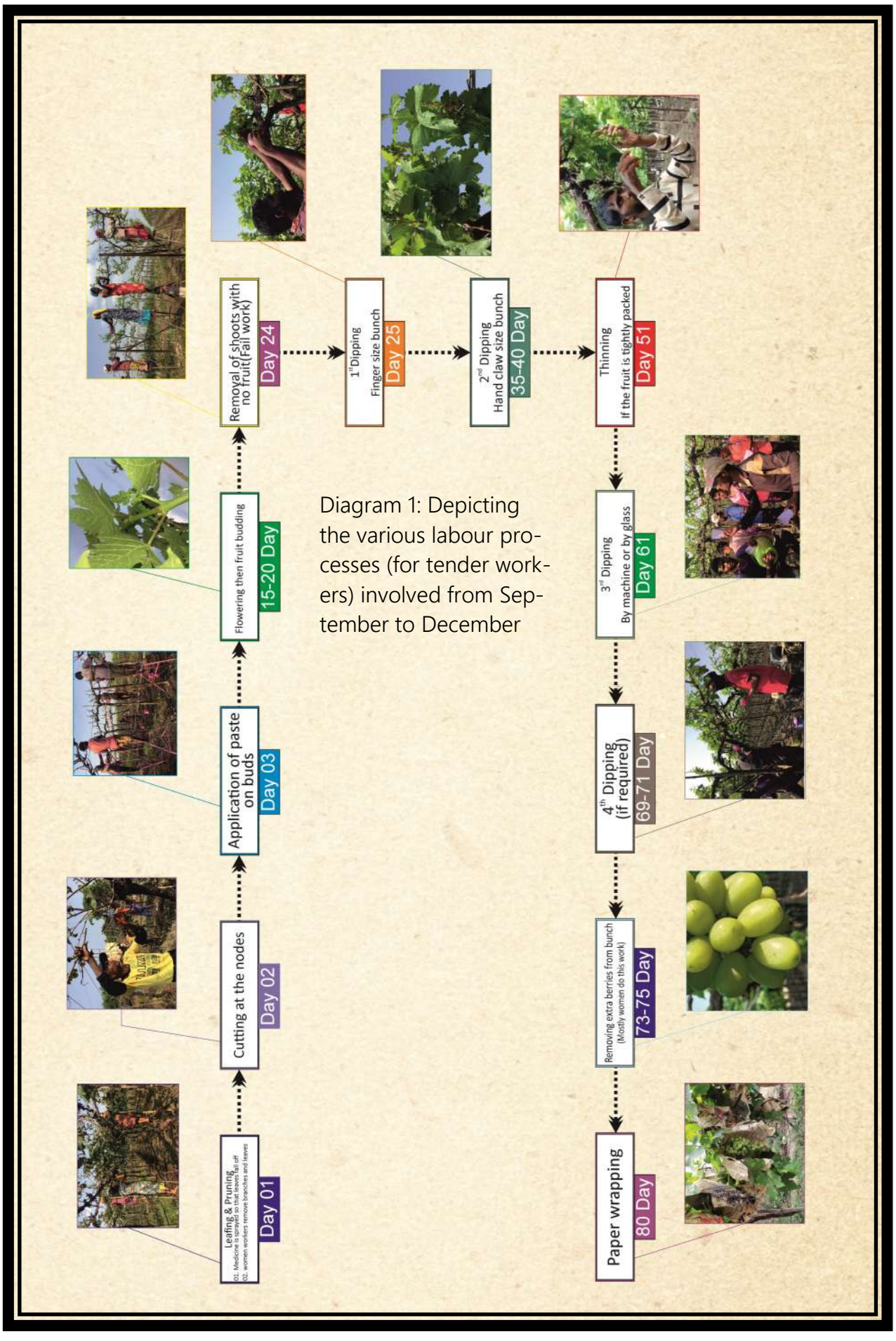


Diagram 1: Depicting the various labour processes (for tender workers) involved from September to December

अध्याय 5

अंगूर के फार्मों में प्रवासी मजदूर:

# पलायन प्रवाह एवं मजदूरों की जनसांख्यिकीय पर समझ

भारत में ग्रामीण क्षेत्र से पलायन अपरिवर्तनीय पैटर्न है। आंतरिक पलायन बहुत सारे, खासकर ग्रामीण भारत के लोगों के लिए गुजर-बसर करने का महत्वपूर्ण तरीका बन गया है।ग्रामीण क्षेत्र से पलायन की ओर धकेलने के पीछे जनसांख्यिकीय, सामाजिक आधारभूत संरचना, आर्थिक स्थिति एवं पारिस्थितिक की मजबूत कारक मौजूद हैं। ग्रामीण मजदूर, विशेष रूप से आदिवासी मजदूरों को अपने क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार नहीं होने के कारण टिकाऊ रोजगार की तलाश में मजबूरन पलायन करना पड़ता है। इसी तरह से विकसित क्षेत्र में रोजगार का अवसर होने के कारण वह मजदूरों की आरक्षित सेना को आकर्षित करता है। विकसित कृषि क्षेत्र को खास मौसम में मजदूरों की जरूरत होती है एवं ये मजदूर चक्राकार पलायन करते हैं। इसके कारण भारत में बड़े पैमाने पर एक राज्य से दूसरे राज्य एवं राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगहों पर पलायन होता है। पहले अध्याय में वर्णित लक्ष्य के अनुसार मौजूदा अध्ययन मजदूरों के पलायन प्रवाह का मानचित्रण पलायन स्रोत से शुरू किया है। यहाँ से मजदूर पलायन गंतव्य की ओर जाते हैं। इस अध्याय में अंगूर के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों के पलायन गलियारे एवं जनसांख्यिकीय की विस्तार से चर्चा की गयी है।

**पलायन गलियारा:** पलायन गलियारा के बारे में समझ बनाने के लिए फील्ड सर्वे के पहले चरण में नाशिक के अंगूर बागों में काम करने वाले 198 मजदूर/लोगों का सेंपल लिया गया। यह बेसलाइन मैपिंग पलायन प्रवाह का दस्तावेज बनाने के लिए किया गया। नाशिक के अंगूर के बागों में हर साल दूसरे राज्य, दूसरे जिलों एवं जिले के दूसरे हिस्सों से मजदूरों का पलायन होता है। पाठक जानते हैं कि नाशिक उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित है एवं इसकी सीमा राज्य के धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर एवं ठाणे से सटी है, साथ ही यह गुजरात के वलसाड,नवसारी एवं डांग जिला के साथ सीमा साझा करता है। नाशिक जिले के कुल 15 ब्लॉकों में से 10 ब्लॉकों में अंगूर की खेती होती है। जिले के निफाड एवं डिंडोरी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती होती है। जिले के 80 प्रतिशत से ज्यादा अंगूरों का उत्पादन इन दोनों ब्लॉकों में होता है। इसके अलावा चंदवाड़, नाशिक, सताना एवं सिन्नार ब्लॉक में भी अंगूर की खेती होती है (पवार, 2019)। सेंपल में 94 प्रतिशत लोगों ने निफाड एवं डिंडोरी को पलायन गंतव्य के रूप में चुनने की बात कही। इनमें से 81 प्रतिशत डिंडोरी एवं 13 प्रतिशत निफाड का चयन किया। शेष 6 प्रतिशत लोगों ने चंदवाद के अंगूर बागों को काम करने के लिए चुना। पलायन के स्रोत में चर्चा के समय डांग जिले के सुबीर ब्लॉक के पदलगढ़ी गाँव के सूरज ने बताया कि पलायन के लिए पहली पसंद निफाड का अंगूर फार्म है एवं दूसरा पसंद डिंडोरी है। उन्होने बताया कि पहले दो साल उन्होंने सुरगना के अंगूर बागों में काम किया। यहाँ प्रति एकड़ के लिए पूरे सीजन में मिलने वाला दाम निफाड की तुलना में कम था। इसलिए उन्होंने काम करने के लिए निफाड के अंगूर बागों को चुना।

**प्रवासी मजदूरों के स्रोत क्षेत्र:** अध्ययन में पलायन स्रोत को शामिल किया गया। अध्ययन में गुजरात का डांग जिला एवं महाराष्ट्र का नाशिक जिला पलायन के दो प्रमुख स्रोतों के रूप में उभर कर आया। डांग जिले से सबसे ज्यादा प्रतिशत मजदूर पलायन करते हैं। अध्ययन में उत्तर-दाताओं के 87 प्रतिशत डांग जिला के थे, बाकी 7 प्रतिशत नाशिक जिले के ब्लॉकों के थे। सर्वे के लिए चुने गये सभी मजदूर आदिवासी समुदाय से थे।

Table 3 : Blocks mapped along the migration stream

| Destination: | | Nashik | | |
|---|---|---|---|---|
| Source | | Chandvad | Dindori | Niphad |
| Dang | Subir | 11 | 121 | 26 |
| | Ahwa | - | 25 | - |
| Nashik | Surgana | - | 15 | - |
| Total | 198 | 11 | 161 | 26 |

डांग गुजरात के 33 जिलों में से एक है। डांग पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। यह उत्तर में गुजरात के तापी, पूर्व में नवसारी, पश्चिम में महाराष्ट्र केनाशिक एवं दक्षिण में उसी राज्य का धुले जिला से घिरा है। डांग जिले में 3 ब्लॉक हैं, बेसलाइन सर्वे से पता चलता है कि सूबीर एवं अहवा ब्लॉक से मजदूर मुख्यतः पलायन करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वालों में 80 प्रतिशत मज़दूर सूबीर ब्लॉक एवं 13 प्रतिशत अहवा ब्लॉक के थे। सूबीर ब्लॉक के मजदूर ब्लॉक के 15 अलग-अलग गाँव के रहने वाले थे। इन गांवों के नाम किरली, चीखाली, सूबीर, कदमल, झरन, जोरथावा, लवचली, गायगोथान, मोखमल, सेपुयंबा, घाना, मड्गा, लहान कदमल, जारण एवं पदलखड़ी हैं। दूसरी ओर अहवा ब्लॉक के नंदनपेड़ा, कलमविहिर, खापरी, कोदमल, कोतबा, भवनदग्द, डॉन, गदद एवं गदवी गाँव से मजदूर नाशिक के अंगूर के बागों में काम

करने के लिए पलायन करते हैं।

अध्ययन में नाशिक जिला के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पलायन करने की बात सामने आती है। सर्वे से पता चलता है कि नाशिक के सुरगना ब्लॉक के गांवों से मजदूर नाशिक के दूसरी जगहों पर पलायन करते हैं। सर्वे किए गये मजदूर उदयपुर, कुंजलक, वंजुलपाणि एवं मलगावहन गाँव के रहने वाले हैं। हालांकि सुरगना ब्लॉक में चर्चा करते समय उत्तर-दाताओं ने नाशिक के सुरगना ब्लॉक के साथ पैंत, कलवान एवं त्रिंबकेश्वर ब्लॉक को अंगूर की खेती के लिए पलायन करने वालों के स्रोत के रूप में चिन्हित किया।

नाशिक जिले का डिंडोरी, निफाड़ एवं चंदवाड़ ब्लॉक प्रमुख पलायन गंतव्य के रूप में उभर कर आया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले मजदूरों ने डिंडोरी ब्लॉक के जोड़किया, पिपलगांव, दहेगांव, खेदाले, भादुरी, लखमपुर, खेदगाम, जौदुके, घोदेगव, सोंजम, आंतरवेली, वार्खेड़ा एवं मावड़ी गाँव से पलायन किया है एवं कुछ मजदूरों का पलायन स्थल नाशिक जिले के चंदवाद ब्लॉक के यूगाँव, कुंभरी, सवरगाँव, पनवाड़ी एवं पालखेड़ गाँव है। मानचित्र में इन गांवों को चिन्हित किया गया है।

अध्ययन के अनुसार उत्तर-दाताओं में सूबीर ब्लॉक के 77 प्रतिशत मजदूरों ने डिंडोरी, 16 प्रतिशत ने निफाड ब्लॉक एवं 7 प्रतिशत ने चंदवाड़ में पलायन किया है। दूसरी ओर डांग जिला के अहवा ब्लॉक के सभी मजदूरों ने डिंडोरी ब्लॉक के अंगूर बागों में पलायन किया है।

हमने साहित्य की समीक्षा के अध्याय में महाराष्ट्र के नाशिक जिले की 61680.70 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती होने की बात बतायी है। अंगूर की खेती में श्रम प्रक्रिया के लिए एक एकड़ जमीन पर अंगूर की खेती के लिए एक यूनिट मजदूर की जरूरत होती है, उसके हिसाब से नाशिक में अंगूर की खेती के लिए 1,52,416 मज़दूरों की जरूरत होगी। इससे अंगूर की खेती में लगे मजदूरों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है एवं नाशिक के अंगूर बागों में काम के लिए दूसरे राज्य तथा राज्य में दूसरी जगहों से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है।

**Map 1:** Migration corridor in Dang and Nashik
Source: Maps of India

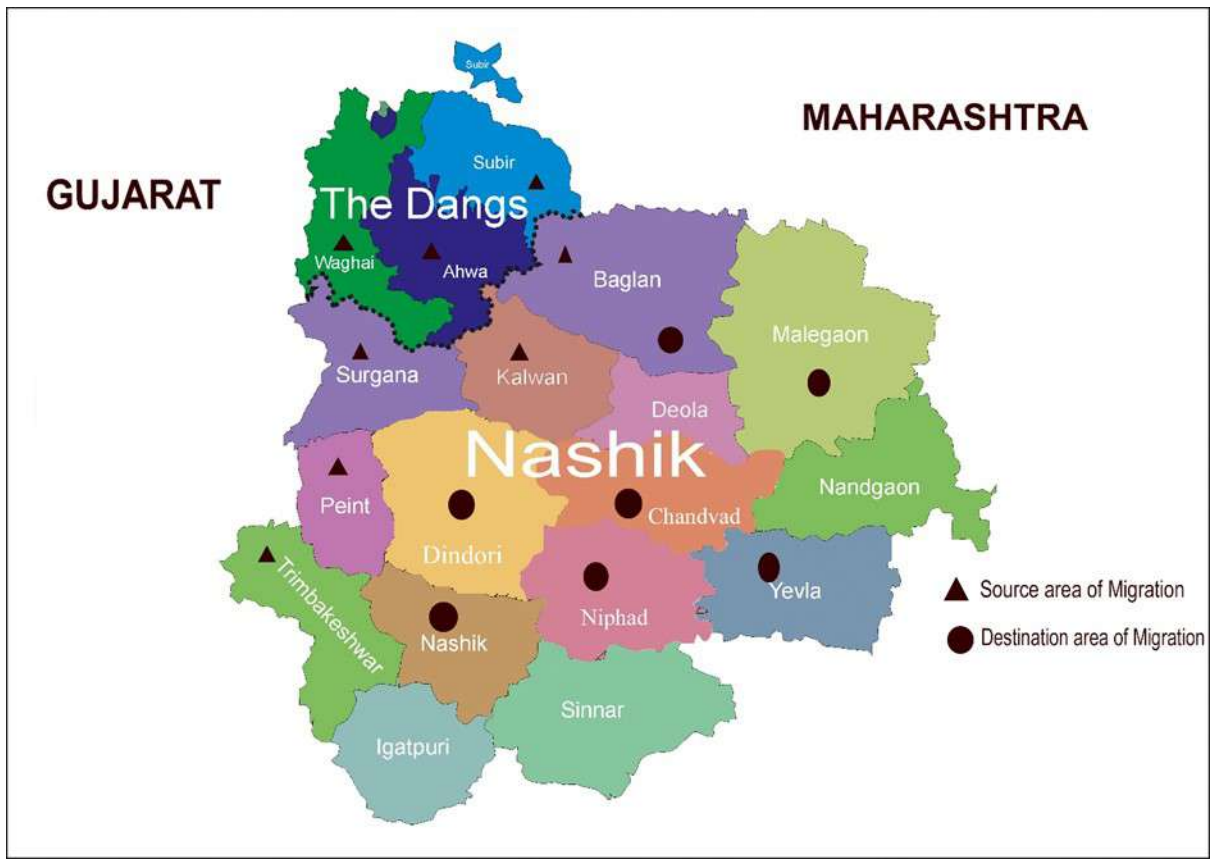

**जनसांख्यिकीय प्रोफाइल:** सर्वे में हिस्सा लेने वाले 198 लोगों में 81 प्रतिशत पुरुष मजदूर एवं 19 प्रतिशत महिला मजदूर की थी। अंगूर के बागों में पलायन करने वालों में खासकर टेंडर पर काम करने वालों में पुरुष मजदूरों की अनुपात बहुत ज्यादा है।

हालांकि महिला मजदूर भी थीं। जैसा कि हमने अध्ययन पद्धति संबन्धित अध्याय में बताया है कि अंगूर की खेती में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी के बावजूद हमारी टीम सर्वे में महिला मजदूरों को शामिल नहीं कर पायी।

ऊपर दिये गए टेबल से साफ है कि मजदूरों का 66 प्रतिशत 19-29 साल के युवा श्रेणी का है। महिला मजदूरों में 85 प्रतिशत से ज्यादा 30 साल से कम उम्र की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मुख्यतः युवा मजदूर ही अंगूर की खेती में काम करते हैं।

इन मजदूरों मेंसे 70 प्रतिशत ने प्राथमिक स्कूल तक पढ़ाई की है, जबकि 21 प्रतिशत कभी स्कूल गया ही नहीं है। इन्हें निरक्षर कहा जा सकता है।

Table 4: Sex distribution of respondents

| | | |
|---|---|---|
| Male | 160 | 81% |
| Female | 38 | 19% |
| Total | 198 | 100 |

**सामाजिक वर्गीकरण:** मैपिंग से 95 प्रतिशत मजदूरों के आदिवासी होने एवं 5 प्रतिशत मजदूरों के दलित होने के बारे में पता चला। पलायन का मुख्य स्रोत दक्षिण राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश की सीमा जो महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से तक जाती है, आदिवासी पट्टी है। डांग आदिवासी बहुल जिला है, इसकी कुल आबादी का 94.6 प्रतिशत आदिवासी है। इसमें कोंकण, भील, वारली, कोटवालिया, कथोडी एवं गामित आदिवासी रहते हैं। इसलिए सर्वे में पलायन करने वाले मजदूरों का प्रतिशत पलायन स्रोत की आबादी के प्रतिशत को प्रतिबिंबित करता है।

**उत्तर-दाताओं में जमीन का मालिकाना:** हमारे सर्वे में 75 प्रतिशत मजदूरों के पास जमीन होने की बात सामने आती है। हालांकि इनमें बहुत कम मजदूर अपनी जमीन पर खेती करके गुजर–बसर कर पाते हैं। डांग में कृषि की उत्पादकता बहुत कम है, जिले के भौगोलिक क्षेत्र के सिर्फ 53,949 हेक्टेयर जमीन(31 %)पर खेती होती है। खेती होने वाली जमीनों में से 7500 हेक्टेयर (13.9%)जमीन सिंचित है। मजदूरों ने बताया कि

Table 5: Age wise distribution of Workers

| Age Range (in years) | Male | Female | Number of Labour | in per-cent |
|---|---|---|---|---|
| Less than 18 | 10 | 13 | 21 | 11% |
| 19-29 | 65 | 72 | 130 | 66% |
| 30-39 | 18 | 13 | 34 | 17% |
| 40-49 | 5 | 2 | 10 | 5% |
| More than 50 | 2 | | 3 | 1% |
| Total | 100 | 100 | 198 | 100 |

Table 6: Level of literacy among the workers

| Education Level | No. of workers (percentage) |
|---|---|
| Illiterate | 21 |
| Primary | 70 |
| Middle | 3 |
| Secondary | 5 |
| Graduate | 1 |
| Total | 100 |

Table 7: Landholding owned by the respondents

| Landholdings in Acres | No. of respondents (Percentage) |
|---|---|
| Landless | 25 |
| Less than 1 Acre | 2 |
| 1 to 2 Acres | 19 |
| 2 to 3 Acres | 31 |
| 3 to 4 Acres | 8 |
| More than 4 Acres | 15 |
| Total | 100 |

इसके बावजूद वे एक सीजन तक चलने लायक पर्याप्त अनाज का उत्पादन कर पाते हैं।

पलायन गलियारा एवं मजदूरों का प्रोफाइल जानने के लिए किये गये बेसलाइन सर्वे से हमें यह जानकारी मिली। मजदूरों के काम का स्वरूप, काम की परिपाटी, काम को लेकर मजदूरों की सोच, काम करने की स्थिति एवं गंतव्य में रहन-सहन की स्थिति एवं काम करने की जगह पर मजदूरों की सामाजिक सेवा तक पहुँच को समझने के लिए विस्तृत पारिवारिक सर्वे किया गया। अगले अध्याय में हम दूसरे चरण में किए गए 114 परिवारों के सर्वे के निष्कर्षों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

अध्याय 6

# अंगूर के फार्मों में प्रवासी मजदूरों के काम करने एवं रहन –सहन की स्थिति

प्रवासी मजदूरों के दो समूहों, टेंडर एवं कटाई मजदूरों का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान हमें ऐसे मजदूरों के समूह मिले जो टेंडर के रूप में भी अंगूर के फार्मों में काम करते है एवं कटाई का काम करने के लिए भी पलायन करते हैं। हमारी टीम ने मजदूरों के ऐसे छोटे समूहों की भी मैपिंग की।

पलायन के स्रोत क्षेत्र में 114 मजदूर परिवारों को चुना गया। इनमें 54% टेंडर मजदूर थे, 13% मजदूर सिर्फ कटाई का काम करते थेएवं 33 प्रतिशत मजदूरों ने टेंडर काम एवं कटाई दोनों काम के लिए पलायन किया था।

**Table 8: Break Up of Surveyed Workers by Type of Work**

| Type of work | Number of households |
|---|---|
| Tender | 61 |
| Harvesting | 15 |
| Tender & Harvesting | 38 |
| Total | 114 |

**पलायन का इतिहास:** टेंडर मजदूर के रूप में पलायन करने वाले मजदूर परिवारों के 81 प्रतिशत पिछले पाँच सालों से पलायन करते आ रहे हैं। इस श्रेणी के मजदूरों के 17 प्रतिशत पाँच साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम समय से पलायन करते आ रहे हैं। सिर्फ 2 प्रतिशत टेंडर मजदूर परिवार ऐसे थे जो अंगूर फार्मों में अंगूर उगाने के मौसम में एक दशक से ज्यादा समय से पलायन करते आ रहे हैं।

इसी तरह से फसल कटाई के लिए पलायन करने वाले मजदूर परिवारों के 91 प्रतिशत मजदूर पाँच साल से कम समय से पलायन कर रहे हैं। इन मजदूर परिवारों में सिर्फ 4 परिवार ऐसे मिले जो 5 साल से अधिक समय से पलायन करते आ रहे हैं।

**काम पर रखने का तरीका:** लहन कदमल गाँव (सूबीर ब्लॉक, जिला डांग)के प्रवेश ने बताया कि नाशिक के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए पलायन का चलन पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि डांग जिले के मजदूर बड़ी संख्या में

Table 9: Migration history of the workers

| Duration | Tender (Percentages) | Harvesting (Percentages) |
|---|---|---|
| 1-5 years | 81 | 91 |
| 6-10 years | 17 | 4 |
| More than 10 years | 2 | 1 |
| Total | 100 | 53 |

फल तथा सब्जी जैसे व्यावसायिक फसलों की खेती में काम करने के लिए बागलन, कलवान, चंदवाड़, डिंडोरी, नाशिक एवं वानी में कम समय के लिए पलायन करते हैं। प्रवेश का कहना है कि डांग के गांवों से इन जगहों के नजदीक होने के कारण ऐसा होता है। पलायन स्थल नजदीक होने के कारण मजदूरों को कम समय में मजदूरी कमा लेने का मौका मिलता है। शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण बहुत सारे मजदूर अपने को अकुशल मजदूर मानते हैं, खेती के काम के लिए पलायन को वह बेहतर मानते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वह पिछले तीन-चार सालों से मुक़द्दम के रूप में मजदूरों के समूह को अंगूर के फार्मों में काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं।

चर्चा से इस सवाल का उठना स्वाभाविक था कि नाशिक के ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर किस तरह से काम की खोज कर लेते हैं? या मजदूरों को खेत में काम पर रखने वाले किसान उन्हें किस तरह नियुक्त करते हैं? मजदूरों ने बताया कि अधिकांश मजदूरों को ठेकेदारों के द्वारा काम मिला। ठेकेदार/मुक़द्दम खुद पहले मजदूर के रूप में नाशिक के अलग-अलग जगहों के अंगूर फार्मों में पलायन कर काम किया। या तो उन्होंने टेंडर मजदूर के रूप में समूह का हिस्सा बनकर अंगूर उत्पादन का काम किया या कटाई का काम किया एवं बाद में ठेकेदार बन गए। वे मजदूरों के समूहों को अंगूर के फार्मों में कमीशन की एवज में काम पर रखवाते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले टेंडर मजदूरों के 83% को ठेकेदार के माध्यम से काम मिला। 6 प्रतिशत खुद मुक़द्दम थे एवं वे अंगूर के फार्मों में मजदूरों के साथ काम करने के अलावा उनके काम की देख-रेख की ज़िम्मेदारी भी संभालते हैं। सिर्फ 5 प्रतिशत मजदूरों को गाँव वाले या रिश्तेदारों के संपर्क के जरिये काम मिला। यही रुझान कटाई करने वाले मजदूरों में भी देखने को मिलता है। यहाँ 84 प्रतिशत मजदूरों को ठेकेदार द्वारा काम दिलाया गया। बहुत कम मजदूरों ने

अपने बूते पलायन कर काम खोजा है। सिर्फ 4 मजदूरों ने बताया कि वो कई सालों में किसानों के साथ सीधा संपर्क बना पाये हैं। ये किसान कटाई के समय सीधा मजदूरों के साथ संपर्क करके उन्हें काम पर रखते हैं एवं कई बार उसी गाँव के दूसरे किसानों को काम पर बुला लेते हैं।

इसके बाद के अनुच्छेदों को हम दो हिस्सों में

Table 10: Modes of Recruitment

| Mode | Tender (percentage) | Harvesting (percentage) |
|---|---|---|
| Contractors | 84 | 83 |
| Contractors- themselves | 11 | 5.5 |
| Fellow a network of village persons or relatives | 5 | 4 |
| Directly contacted by the farmer | 0 | 7.5 |
| Total | 100 | 100 |

बांटेंगे। एक हिस्से में टेंडर मजदूरों द्वारा दिये गए जवाबों पर चर्चा करेंगे एवं दूसरा हिस्सा सिर्फ कटाई के समय पलायन करने वाले मजदूरों पर केन्द्रित करेंगे।

**टेंडर के तहत काम करने के लिए पलायन करने वाले परिवार :**

जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पिछले दशक से ही मजदूर बड़ी संख्या में नाशिक के अंगूर के फार्मों में अंगूर के सीजन में पलायन करना शुरू किए हैं। अंगूर की खेती का यह सीजन सितंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक रहता है। इस पूरे सीजन में अंगूर के फार्मों में काम करने के लिए मजदूरों के समूह का इंतजाम करने में मुकद्दमों की बड़ी भूमिका होती है। मुक़द्दम किसानों को भरोसा दिलाता है कि वह समझौते के तहत किये गये काम को पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार होगा। इस मौसम में पलायन करने वाले मजदूरों को ठेका मजदूर या टेंडर मजदूर कहा जाता है। हमें मजदूरों ने बताया कि सीजन के शुरूआत में ही ठेकेदार के माध्यम से  नए मजदूरों के समूह को काम पर रखने वाले किसान ठेकेदार एवं मजदूरों का पता एवं कई बार इनके पहचान पत्र की प्रतिलिपि अपने पास रखता है। अक्सर किसान द्वारा रखे गये बही-खाते में किसान द्वारा किये गये भुगतान (अगर किया है) का ब्यौरा भी रहता है। हमें मजदूरों ने बताया कि

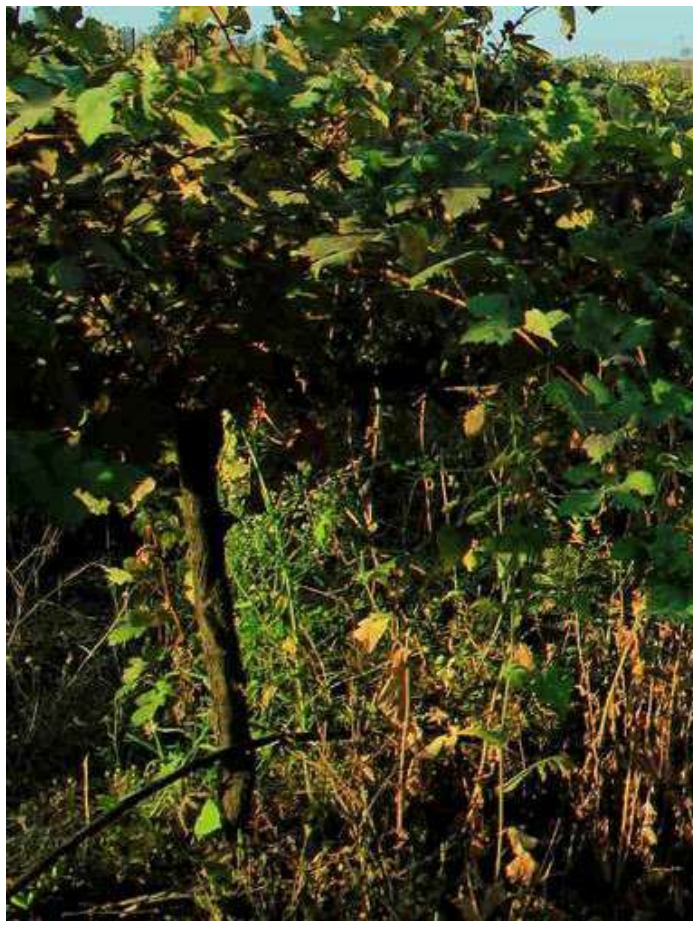

यह टेंडर मजदूरों से ज्यादा किसानों के हित की रक्षा करता है। अगर मुक़द्दम या मजदूर समझौते के किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तय किये गये काम ख़त्म होने से पहले भाग जाते हैं या बही-खाता लेकर चले जाते हैं तो किसान इनके स्रोत क्षेत्र में उन्हें ढूंढ लेता है। उन्हें किसान द्वारा दी गयी रकम लौटाने या काम पूरा करने के लिये लौटने को कहता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार करवाने की धमकी देता है। मजदूरों ने बताया कि ऐसी घटना विरले ही होती है। लेकिन एक किसान ने मुक़द्दम को उसके गाँव में खोज निकाला और उसे किसान द्वारा दी गयी अग्रिम राशि लौटाने या काम पूरा करने के लिए मजदूरों के समूह के साथ वापस नहीं लौटने पर गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। डांग जिला के सूबीर ब्लॉक के युवा मुक़द्दम प्रवेश ने बताया कि इस तरह की घटना अपवाद है लेकिन यह मजदूर/मुकद्दमों को टेंडर का उल्लंघन करने में अवरोधक की भूमिका निभाता है। टेंडर तैयार होता तो है, लेकिन मजदूर/मुक़द्दम को अक्सर इसकी कॉपी नहीं दी जाती है। जैसा प्रवेश ने बताया कि यह दस्तावेज किसानों के हित की रक्षा करने के लिए तैयार किया जाता है। मजदूरों के लिए यह मौखिक समझौता है। इसकी झलक हमने सर्वे में देखी, किसानों के साथ सिर्फ 3 प्रतिशत मुक़द्दमों का कोई लिखित समझौता हुआ था एवं सिर्फ एक

मजदूर को टेंडर समझौते की कॉपी मिली थी।

ऐसी स्थिति में मजदूर किस वजह से रोजगार के लिए अंगूर के बागों को चुनते हैं? इस सवाल से जुड़े दो सवाल हैं, मजदूरों ने अंगूर के खेतों में काम करने का रुख कब किया एवं दूसरा सवाल इसके पहले वे क्या काम करते थे।

मजदूरों ने बताया कि अंगूर के खेतों में काम करने के लिए नाशिक में पलायन करने से पहले बहुत सारे मजदूर गन्ना कटाई का काम करने के लिए दक्षिण गुजरात जाते थे। प्रवेश के समूह के साथ चर्चा में यह बात निकलकर आयी कि इनकी तरह बहुत सारे मजदूर पहले अपने माँ-बाप के साथ गन्ना कटाई का काम करते थे। ए बिट्टर हार्वेस्ट (सीएलआरए,2017) में बताया गया है कि डांग जिले के हजारों मजदूर दशकों से दक्षिण गुजरात के मैदानी क्षेत्र में गन्ना कटाई के काम के लिए पलायन करते आ रहे हैं। इस पलायन का स्वरूप इस तरह का है कि मजदूर परिवारों को बच्चों के साथ गाँव के बाहरी हिस्से में बनाये गये कैंपों में साल में सात से आठ महीने रहना पड़ता है। इसका नतीजा यही होता है कि बच्चे स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते या किसी तरह की शिक्षा उनकी पहुँच से बाहर रहती। सुभाष (प्रवेश के समूह का सदस्य) ने समझाया कि बहुत सारे मजदूरों के बच्चे अपने माँ-बाप के रास्ते पर चले एवं काम करने की उम्र होने (उससे थोड़ा पहले भी) पर गन्ना कटाई का काम करने लगे।

सुभाष ने जोड़ा कि उन्होंने भी 16-17 साल की उम्र से गन्ना कटाई का काम किया है। उनके साथ गाँव के अन्य युवा अपने परिवारों के साथ अगस्त महीने के बाद दक्षिण गुजरात के मैदानी क्षेत्र में पलायन कर जाते थे एवं अगले साल मार्च के बाद ही घर लौटते थे। यह सात-आठ महीना कटाई करने वालों के लिए कठोर मेहनत करने का समय होता है। अक्सर मजदूरों को प्रतिदिन न्यूनतम 12 घंटे काम करने पड़ते थे। जिसके एवज में प्रति टन गन्ना के लिए उन्हें 120रुपये दिये जाते थे। सूबीर ब्लॉक के लवचली गाँव के 36 साल के मुक़द्दम अर्जुन ने बताया कि पिछले कई सालों से ज्यादा से ज्यादा मजदूर गन्ना कटाई के बजाय अंगूर के फार्मों में या कम समय में किए जाने वाले अन्य कृषि कामों को रोजगार के लिए चुन रहे हैं। मजदूरों के अनुभवानुसार गन्ना कटाई के काम की तुलना में अंगूर के फार्मों में काम कम कमरतोड़ मेहनत वाला एवं तयशुदा घंटे का काम है। गन्ना कटाई के काम में मजदूरों को रात के समय ट्रक को लोड करना पड़ता है या जब तक सभी मजदूरों ने एक टन गन्ना नहीं काटा तब तक काम की जगह पर रुके रहना पड़ता है। अंगूर के बागों में काम इतना कठिन नहीं है।

सभी मजदूरों ने इस तर्क का समर्थन किया। उन्होंने अन्य कामों के बजाय अंगूर के फार्मों में टेंडर

मजदूर का काम चुनने के पीछे यही तर्क दिया। अंगूर के फार्मों में टेंडर मजदूर के रूप में काम करने का निर्णय अक्सर कई तरह की प्राथमिकता से प्रभावित होता है।

अंगूर की खेती का काम शारीरिक रूप से कम मेहनत वाला काम है और इसमें काम का बोझ भी कम है। ऊपर से अंगूर के फार्मों में वे शेड की छाँव में काम करते हैं। 55 प्रतिशत मजदूरों ने अंगूर के काम को चुनने के पीछे इसे सबसे प्रमुख कारण बताया। इसके अलावा 40 प्रतिशत मजदूरोंने रात में या देर तक काम नहीं करना पड़ता, को भी इसे चुनने के पीछे दूसरा बड़ा कारण माना।

लगभग 25 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि अंगूर के फार्मों में काम करने वाले गाँव के लोगों को देखकर वे भी नाशिक में अंगूर के फार्मों में काम करने का निर्णय आसानी से ले पाये।

**गंतव्य में बच्चों तथा परिवार के साथ पलायन:** लवचली गाँव के अर्जुन ने समझाया कि संविदा काम में कम दिनों के लिए पलायन करना पड़ता है। ज़्यादातर घरों से परिवार के तीन सदस्यों ने पलायन किया।

सिर्फ 13% मजदूरों ने बच्चों के साथ पलायन किया। 87 प्रतिशत मजदूरों ने बच्चों को अपने घर पर छोड़कर पलायन किया। इन बच्चों का या तो हॉस्टल में दाखिल करवाया गया या उन्हें दादा-दादी, नाना-नानी या अभिभावकों देख-रेख में रखा गया।

**काम की परिपाटी:** सभी मजदूरों से पूछा गया कि उन्होंने पिछले सीजन (सितंबर–दिसम्बर,2020) में अंगूर के फार्म में टेंडर मजदूर के बतौर कितने महीने काम किया? नीचे दिये गये टेबल से देखा जा सकता है कि 79 प्रतिशत मजदूरों ने 4-5 महीने नाशिक के अंगूर फार्मों में काम किया था, 18 प्रतिशत मजदूरों ने 3-4 महीने काम किया था एवं बहुत छोटा तबका सिर्फ 3 प्रतिशत मजदूरों ने 150 दिन लगातार बागों में काम किया था। जैसा हमने पहले बताया है कि अधिकांश मजदूरों ने सितम्बर महीने की पहली तारीख से लेकर दिसम्बर तक पलायन किया था।

मजदूरों ने बताया कि फल के किस्म एवं परिपक्वता के अनुसार नवम्बर एवं दिसम्बर महीने में जब फल के जामुन में रंग और स्वाद आने लगता है तो तेज रफ्तार से काम करना पड़ता है। पाठकों को याद होगा कि अंगूर के फार्मों में सभी कामों के केंद्र में छत्र प्रबंधन का

Table 11: Duration of the Work Season

| Duration | Number of workers (Percentage) |
|---|---|
| 3-4 months | 18 |
| 4-5 months | 79 |
| 5-6 months | 3 |
| Total | 100 |

काम होता है। यह काम अंगूर की बेरी को पर्याप्त सूरज की किरण एवं पोषण मुहैया कराने को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि उच्च गुणवत्ता वाला अंगूर मिल सके। इसमें वृद्धि बूस्टर में डिप्पिंग करने, गुच्छों के अंदर से पतला करने, केवल फलों को ऊर्जा देने के लिए बेलों पर पत्ते डालने का अंतिम चरण शामिल है।

**अग्रिम रकम:** अंगूर के बागों में 4-5 महीने काम करने के समय गुजारा करने के लिए मजदूर मुक़द्दम से बुकिंग राशि के रूप में मिलने वाले अग्रिम भुगतान पर निर्भर करते हैं। इस पैसे के एक हिस्से से घर पर रह जाने वाले अपनों का गुजारा होता है। सर्वे में शामिल 81 प्रतिशत मजदूरों ने अग्रिम लिया था, शेष 19 प्रतिशत मजदूरों ने अग्रिम नहीं लिया था।

अग्रिम राशि लेने वालों में से 69 प्रतिशत ने 5000 रुपये से 15000 तक रुपये लिए थे। प्रवेश एवं अर्जुन जैसे मुकद्दमों ने बताया कि गन्ना कटाई के काम में जिस तरह से लगभग सभी मजदूर अग्रिम भुगतान लेते हैं, अंगूर के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों में इस तरह का कोई रुझान नहीं है। मजदूर अपनी जरूरत एवं खर्चे का हिसाब लगाकर तय करते हैं किउन्हें अग्रिम राशि लेनी है या नहीं एवं अगर लेना है तो कितना लेना है।

मजदूरों से पूछा गया कि वे किस कारण से या किस तरह के खर्चे के लिए अग्रिम लेते हैं। मजदूरों ने अग्रिम लेने की जरूरत के पीछे कई कारणों के होने की बात बतायी। आंकड़े के अनुसार घर के रोजमर्रा के खर्च सबसे प्राथमिक कारणों में से एक

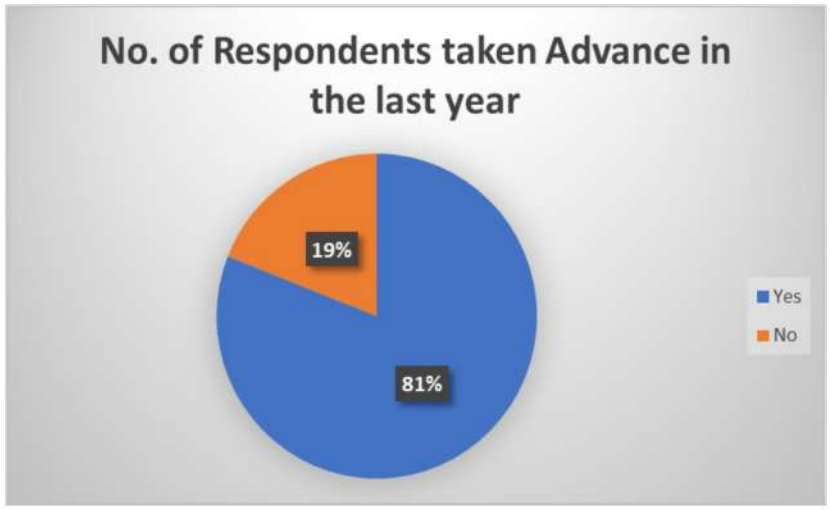


है। 73 प्रतिशत मजदूर इस कारण से अग्रिम लेते हैं। इस तरह से 23 प्रतिशत मजदूरों ने अग्रिम राशि का उपयोग स्रोत (मूलनिवास) में अपनी जमीन पर कृषि कामों के लिए किया। 9 प्रतिशत मजदूरों ने अग्रिम का उपयोग अकस्मात चिकित्सकीय जरूरत के लिए किया। बाकी मजदूरों ने अग्रिम राशि का उपयोग घर बनाने या घर की मरम्मत करने, बच्चों की शिक्षा, शादी, मौत, बच्चे पैदा होने के अवसर पर किए गए सामाजिक अनुष्ठान या धार्मिक रीतिरिवाजों एवं पुराने कर्ज चुकाने के लिए किया। 5 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि उन्होंने अग्रिम का उपयोग स्मार्टफोन, पशु एवं मोटर साइकिल लेने के लिए किया।

Table 12: Reasons for taking Advance

| Reasons | Number of workers (Percentage) |
|---|---|
| For daily household expenses | 73 |
| For performing social rituals (religious, marriage, death, birth etc.) | 7 |
| For bearing cost of medical expenses | 9 |
| For education related expenses | 8 |
| For covering cost of cultivation on the respondent land | 22 |
| For repair and construction work of house | 10 |
| To pay off old debt | 4 |
| Purchasing Assets (Mobile, Animals, Motorcycle etc.) | 5 |

**एक सीजन में मजदूर कितने प्लॉट्स पर काम करते हैं?** जैसा कि हमने पहले बताया है कि मजदूरों का समूह अक्सर कई प्लॉट्स पर काम करता है। समूह में मजदूरों की संख्या के आधार पर मुक़द्दम एक साथ कई प्लॉट्स में काम करने का फैसला करता है। आम तौर पर मुक़द्दम आस-पास के प्लॉट्स पर काम करने का निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए हम प्रवेश को ले सकते हैं जिसके पास 120 मजदूरों का समूह था। प्रवेश ने अपने समूह से 60 एकड़ के प्लॉट पर काम करवाया। अर्जुन के साथ पिछले सीजन में 35 मजदूरों (12 महिला एवं 23 पुरुष) का समूह था, इस समूह ने 22 एकड़ (22 प्लॉट)अंगूर के फार्म पर काम किया। अहवा के गणेश पिछले 12 सालों से अंगूर के बागों में काम करने के लिए पलायन करते आ रहे हैं। उन्होंने समझाया कि टीम के सदस्यों की संख्या एवं इलाके में प्लॉट पर काम करने के रेट को देखते हुए मुक़द्दम करार करता है। गणेश ने बताया कि औसत 10 मजदूर एक दिन में एक प्लॉट पर कोई भी काम पूरा कर सकता है। अगर टीम में 15 मजदूर हैं तो वह एक दिन से कम समय में एक प्लॉट का काम पूरा कर सकता है। इसका मतलब यह समूह एक दिन में एक से ज्यादा प्लॉट्स पर काम कर सकता है। शोध टीम ने मजदूरों से पूछा कि उन्होंने पिछले सीजन में कितने प्लॉट्स पर काम कियाथा? एक सीजन में एक मजदूर औसत 30-32 एकड़ प्लॉट पर काम करता है। एक दिन में एक एकड़ प्लॉट पर औसत 10-12 मजदूर कोई भी काम पूरा कर सकता है। अगर मजदूर समूहों में सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाय तो वे एक दिन में एक से ज्यादा प्लॉट्स पर काम कर

| Table 13: Number of plots worked by a worker in a season | |
|---|---|
| Acreage | Number of workers Percentage |
| 01 to 10 | 8 |
| 11 to 20 | 25 |
| 21 to 30 | 22 |
| 31 to 40 | 20 |
| More than 40 | 25 |
| Total | 100 |

| Table 14: Distribution of workers as per the team size | |
|---|---|
| Team Distribution | Percentage |
| 01 to 10 | 6 |
| 11 to 20 | 26 |
| 21 to 30 | 26 |
| more than 30 | 42 |
| Total | 100 |

| Table 15: Distribution of workers on one acre of plot | |
|---|---|
| No. of labours per acre | No. of Respondents Percentage |
| 6 to 10 | 71 |
| 11 to 15 | 20 |
| 16 to 20 | 5 |
| more than 20 labours | 4 |
| Total | 100 |

| Table 16: Average Daily wages received by the respondents. | |
|---|---|
| Daily wages received (in Rs) | Number of Respond-ents (Percentage) |
| Below 220 | 48 |
| 220-240 | 11 |
| 240-256 | 15 |
| More than Statutory Minimum wage rate | 26 |
| Total =99 | 100 |
| Average daily wage rate for tender work = Rs 232 | |

| Table 17: Seasonal rate for the plots (Per acre) | |
|---|---|
| Amount (Rs) | Number of workers (Percentage) |
| 20500 | 5 |
| 23000 | 19 |
| 23500 | 3 |
| 24000 | 20 |
| 25000 | 6 |
| 26000 | 5 |
| 28000 | 16 |
| 28500 | 26 |
| Total | 100 |

सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार एक समूह में औसत 40 मजदूर थे। प्रवेश जैसे मुक़द्दम जिसके पास ज्यादा संख्या के समूह हैं, ने बताया कि एक समूह में ज्यादा मजदूरों को काम पर रखकर वह एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा प्लॉट्स पर काम कर पाया था। ऐसे समूह के मजदूरों को कई प्लॉट्स में कम समय के लिए पीस रेट पर लिफिंग, पतला करने एवं डुबाने (डिप्पिंग) जैसे काम करने का अवसर मिलता है। हमें बताया गया कि मजदूरों के एक समूह ने एक सीजन में 80 प्लॉट्स पर काम किया था।

हमारी टीम के आंकड़ों के अनुसार एक समूह में सबसे ज्यादा 123 मजदूर एक मुक़द्दम के मातहत काम कर रहे थे। 71% मजदूर लगभग 10 मजदूरों के समूह में एक प्लॉट पर काम कर रहे थे।

उपरोक्त चर्चा के अनुसार एक प्लॉट पर 20000 रुपये से 28000 रुपये के बीच रेट पर काम कर रहे थे। इन दोनों रेट का औसत 23500 रुपये है।

ऊपर दिये गये टेबल में टेंडर के तहत काम करने के लिए पलायन करने वाले मजदूरों को मिलने वाली औसत दैनिक मजदूरी के बंटवारे को दिखाया गया है। आंकड़े के अनुसार एक मजदूर सीजन में औसत 105 दिन काम करता है । हर मजदूर दिन में औसत 10 घंटा काम करता है। महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र में आठ घंटे काम की न्यूनतम मजदूरी 256 रुपये है। इस हिसाब से 10 घंटे की न्यूनतम मजदूरी 320 रुपये होनी चाहिए। कानून के हिसाब से 8 घंटे से ज्यादा काम के लिए दो गुना भुगतान करना होगा, इसके अनुसार 10 घंटे काम की दैनिक मजदूरी 384 रुपये होनी चाहिए। हमारे आंकड़े के अनुसार मजदूरों को मिलने वाली औसत मजदूरी 232 रुपये है जो उनको कानूनन10 घंटे के लिए मिलने वाले 384 रुपये की मजदूरी से काफी कम है।

**साप्ताहिक भत्ता:**गंतव्य पर गुजारा करने के लिए 28 प्रतिशत मजदूर मुकद्दमों से मिलने वाले भत्ते पर निर्भर रहते हैं। मजदूर इस भत्ते को साप्ताहिक राशन खरीदने, दवाई/डॉक्टर पर खर्च एवं किसी विशेष जरूरत के लिए घर (स्रोत) जाने के लिए किराये पर खर्च करते हैं। आंकड़े के अनुसार 72 प्रतिशत मजदूर साप्ताहिक भत्ता नहीं लेते हैं। यह तबका किस तरह से गंतव्य पर गुजारा करता है? मुकेश पिछले 4 सालों से 120 मजदूरों की टोली को नाशिक जिले के

निफाड़ ब्लॉक में काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने समझाया कि प्लॉट में काम करने के समय एक काम के बाद दूसरे काम का मजदूर इंतज़ार करते हैं और इसी दौरान वह नजदीक के खेतों में मजदूरी करते हैं। मुकेश ने विस्तार से समझाया कि मजदूर फूल, फल एवं सब्जी काटने या अंगूर के बाग में कोई विशेष काम के लिए मजदूरी करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त मजदूरी कमाने का मौका मिलता है। मजदूरी से मिलने वाले नगद पैसे से मजदूर अपना राशन, दवाई का खर्च, मोबाइल फोन रिचार्ज करने या इस तरह के छोटे-मोटे खर्च का जुगाड़ करते हैं। इस वजह से मजदूरों को अग्रिम लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि सीजन में अन्य खेतो में खेत मजदूर के रूप में काम करके वे अपने एवं अपने परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेंगे।

गंतव्य पर ले जाने वाले टैम्पो का किराया देने के लिए सभी मजदूर अपना योगदान देते हैं। टैम्पो एवं उस पर लगने वाले टोल केखर्च को टीम के सभी मजदूरों में बाँट दिया जाता है। एक मजदूर को सीजन में पलायन गंतव्य पर जाने एवं वहाँ से वापस (स्रोत) आने के लिए औसत1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

**रासायनिक घोलों के साथ काम करने का असर**: मजदूरों ने बातचीत में बार-बार अंगूर को विकसित होने के लिए उन पर उपयोग किये गये बूस्टर, रेग्युलेटर एवं रासायनिक घोलों में डुबाने के काम के लिए एसिड का प्रयोग करने के खराब असर पर चिंता जतायी। अंगूर की खेती में बड़ी मात्रा में बूस्टर, रेग्युलेटर, खाद, कीटनाशक एवं कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। मजदूरों ने बताया कि पेस्ट लगाते समय पेस्ट के त्वचा के साथ संपर्क होने पर जलन, फफोले एवं चकत्ते होने की संभावना रहती है जिससे बचने के लिए किसी तरह का रक्षात्मक गियर नहीं दिया जाता है। गणेश ने बताया यह काम करते समय मजदूरों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यह काम करते समय अक्सर बहुत सावधान नहीं होने पर नए मजदूर को घट्टा (त्वचा रोग) हो जाता है या कुछ जगह जल जाते हैं। सूबीर के पदलखड़ी गाँव के योहन ने समझाया कि कई सालों तक काम करते हुए मजदूर एसिड पेस्ट एवं रासायनिक घोल का उपयोग करते समय बचाव करना सीख जाते हैं। कुछ मजदूर यह काम करते समय सूती जुराब का उपयोग करते हैं। लेकिन जुराब के पतले होने के कारण उससे त्वचा की सुरक्षा कम ही हो पाती है, इसको पहन के काम करने के बाद भी वह जल सकते हैं। किसी-किसी मजदूर का फफोला गंभीर हो जाता है या घट्टा चिंताजनक हालत पर पहुंचता है तो किसान उस

मजदूर का इलाज अपने पैसे से करवाता है।

मजदूरों ने अपने अनुभव के आधार पर घरेलू उपचार के द्वारा इन तकलीफ़ों को दूर करने का रास्ता निकाला है। लेकिन योहन कहता है कि पेस्ट प्रयोग करने एवं घोल में डुबाने के काम के बाद मजदूरों को लगातार जलन महसूस होते रहती है। खासकर धूप में उन्हें ज्यादा जलन होती है, साथ ही हाथ में खुजली एवं एलर्जी होती है। 45 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि डुबाने के काम की प्रक्रिया के समय वे घोल के असर एवं इसके सांस में जाने से शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन मजदूर इस काम को करना सीख लेते हैं एवं बचाव के लिए मास्क पहनते हैं या हाथ में कपड़ा बांधते हैं ताकि त्वचा के साथ घोल के संपर्क को कमसे कम किया जा सके।

पेस्ट एवं डुबाने के घोल में मौजूद डाई का अवशेष कई दिनों तक मजदूरों के नाखून में रह जाता है एवं कई दिनों तक यह पानी से धुलता नहीं है। योहन ने समझाया किडाई या घोल के कण मजदूरों के खानों में मिल जाने की संभावना रहती है। हालांकि अभी तक इसका कोई लक्षण नहीं दिखा है, हो सकता है यह लक्षण बहुत लंबे समय बाद दिखने लगे।

टेंडर मजदूरों को लंबे अरसे तक कई तरह के काम करने पड़ते हैं। कटाई मजदूर सिर्फ अंगूर की टहनियों को काटने का काम करते हैं। इसलिए इन मजदूरों को नुकसानदायक घोल एवं कीटनाशक के संपर्क में आने की घटना बहुत कम होती है।

नीचे दिये गये अनुच्छेद में अंगूर कटाई करने वाले मजदूरों के काम की स्थिति एवं काम की परिपाटी पर चर्चा की गयी है।

**अंगूर कटाई के लिए पलायन करने वाले परिवार**

फरवरी, 2021 में मज़दूरों के एक समूह के साथ मुख्य बाज़ार के चौक पर अध्ययन टीम की मुलाक़ात हुई थी। यह समूह सामानों के साथ आए थे, उनके पास अन्य सामानों के अलावा बांस का चटाई, कुछ बरतन एवं जलावन की लकड़ी थी। मजदूर चौक पर आकर इंतजार कर रहे थे। सबेरे लगभग 9 बजे बाइक पर सवार कुछ स्थानीय लोग आए एवं मजदूरों के प्रतिनिधि के साथ बात करने लगे, शेष मजदूर इंतजार करने लगे। अध्ययन टीम को मज़दूरों ने बताया कि वे अंगूर कटाई का काम करने के लिए आये हैं एवं काम के लिए किसान या उनके एजेंट के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस जगह पर टीम की मुलाक़ात महेश से होती है जो 2014 से सुरगना के करंजली गाँव से वानी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह 15 अन्य मजदूरों के साथ दिहाड़ी पर खेत मजदूरी करने के लिए उस किसान के आने का इंतजार कर रहे हैं जिसके साथ वह पिछले 3 साल से काम करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एवं गाँव के अन्य लोग अगले महीने तक ठहरने का इंतजाम करके यहाँ आए हैं। यहाँ रहकर वहवानी के आस-पास के गांवों में 250 रुपये दिहाड़ी पर अंगूर कटाई का काम करेंगे।

टेंडर काम की तरह अंगूर कटाई के काम में मुक़द्दम की भूमिका बहुत कम होती है। मजदूरों ने बताया कि अक्सर किसान मजदूरों से सीधा संपर्क करके उन्हें निश्चित संख्या में मजदूर ले आने के लिए कहता है।

हालांकि मजदूरों ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि औसत 16-20 मजदूरों के एक साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है।

अंगूर कटाई का पीक सीजन फरवरी में शुरू होता है। इसी समय सबसे ज्यादा मजदूर काम करने के लिए आते हैं। अध्ययन में 66 प्रतिशत मजदूरों के फरवरी एवं मार्च महीने में पलायन करने की बात

Table 18: Distribution as per the team size

| Team Distribution | Percentage |
|---|---|
| 01 to 5 | 2 |
| 6 to 10 | 17 |
| 11 to 15 | 15 |
| 16 to 20 | 40 |
| More than 20 | 26 |
| Total | 100 |

सामने आयी। 96 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि मार्च महीने में काम उफान पर रहता है। अप्रैल महीने में अधिकांश मजदूर घर लौटना शुरू करते हैं।

12. Mukaddam : local contractors

| Table 19: Months of migration for Harvesting | |
|---|---|
| Months | Percentage |
| January-February | 4 |
| February-March | 66 |
| March-April | 30 |
| Total | 100 |

| Table 20: Travel expenses incurred by the workers households | |
|---|---|
| Travel Expense (in Rs) | No. of Respondents (Percentage) |
| Less than 500 | 70 |
| 501-1000 | 28 |
| 1001-1500 | 2 |
| Total | 100 |

एक मजदूर औसत एक महीने से ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं। 64 प्रतिशत मजदूरों ने 40दिन से ज्यादा काम करने की बात कही। इसके बारे में विस्तार से टेबल में दिखाया गया है।

**काम के घंटे:** 81 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि उनके काम 8 घंटे के लिए निश्चित किये गयेहैं। **15** प्रतिशत मजदूरों ने छोटे समूह या काम के लिए ज्यादा प्लॉट होने के कारण 8 घंटे से ज्यादा काम करने की बात कही।

**यात्रा खर्चा:** मजदूरों ने यात्रा पर 500 रुपये खर्च होने की बात कही। ज्यादा दूर से आने वाले मजदूरों का यात्रा पर इससे ज्यादा खर्चा होता है।

**मजदूरी का हिसाब:** मजदूरों ने पलायन गंतव्यों में 200-250 रुपये के बीच मजदूरी होने कीबात बतायी। आस-पास में मजदूरी की दर से दिहाड़ी तय होती है। पिछले सीजन में 86 प्रतिशत मजदूरों को 250 रुपये दिहाड़ी मिलीथी।

चारमजदूरों ने बताया कि उन्होंने अंगूर की खेती में प्रचलित संविदा व्यवस्था के तहत कटाई का काम किया। उन्होंने बताया कि वे एक ही किसान के यहाँ साल-दर-साल 15 दिन या 60 दिन के लिए तय की गयी मजदूरी पर काम करते आ रहे हैं। अंगूर बाग के आकार के अनुसार उन्हें 15 दिन या 60 दिन काम दिया जाता है। इस तरह के संविदा की भिन्नता, संविदा की अवधि, काम के घंटे एवं दिहाड़ी पर समझौते को नीचे दिये गये टेबल में दिखाया गया है।

| Table 21: Contract for Harvesting workers | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consolidated amount (Rs.) | No. of days | Daily Wage | Hours worked in a day | No. of Respond-ents |
| 3000 | 15 | 200 | 9 | 1 |
| 11000 | 60 | 184 | 8 | 2 |
| 20000 | 60 | 334 | 12 | 1 |

**सरकारी स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा तक पहुँच:**

छोटे बच्चों एवं शिशुओं के साथ पलायन करने वाले मजदूरों, विशेष रूप से संविदा मजदूरों से पूछा गया कि क्या गंतव्य में उनके बच्चों को समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)के तहत सुविधा मिलती है या नहीं? नीचे दिये गये ग्राफ से पता चलता है कि गंतव्य में मजदूर तथा उनके 3-5 साल तक की उम्र के बच्चे आंगनबाड़ी से मिलने वाली सेवाओं से वंचित हैं। सिर्फ 6 प्रतिशत मजदूरों को आंगनबाड़ी सेवा का लाभ मिलता है एवं सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। अधिकांश मजदूर अपने बच्चों को रिश्तेदारों

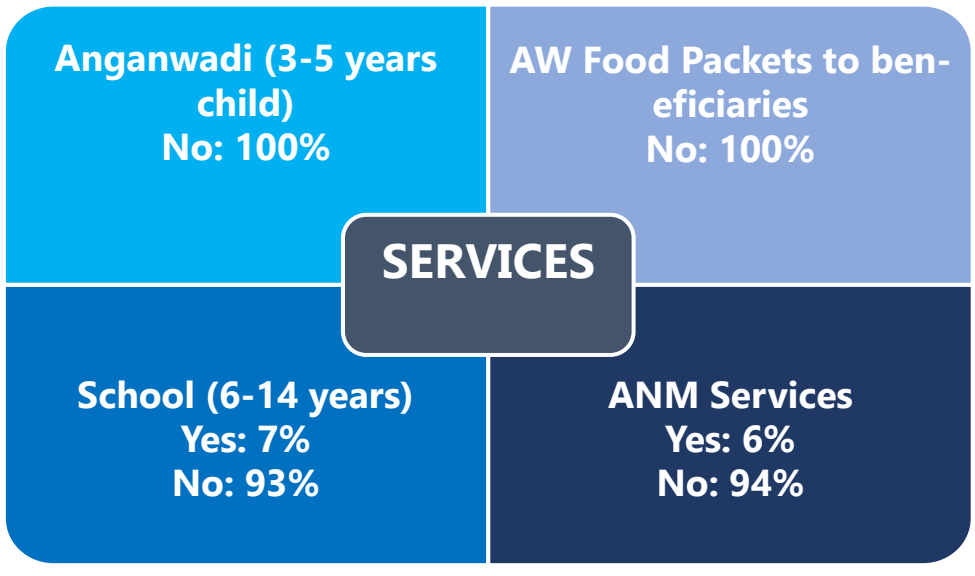

के पास छोड़कर पलयानकरते हैं क्योंकि बच्चों को साथ लाने से उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा।

मजदूर अपने चिकित्सकीय जरूरतों के लिए निजी अस्पताल एवं डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 53% मजदूरों ने बताया कि दिन में काम पर रहने के कारण उन्हें निजी डॉक्टर एवं अस्पतालों पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वे देर शाम में भी जा सकते है। सरकारी अस्पताल एवं डिस्पेन्सरी सिर्फ दिन में मरीजों को देखता है। मजदूरों के लिए काम छोड़कर सरकारी अस्पतालों में लाइन में खड़ा होना संभव नहीं हो पाता है। करंजली गाँव के रमेश (सुरगना) ने समझाया कि गुजरात के मजदूरों को अस्पताल में काम करने वाले मराठा भाषी स्टाफ से बातचीत करने में भाषाई दिक्कत भी होती है। सरकारी अस्पतालों का बर्ताव भी बहुत सारे मजदूरों को उससे दूर करता है। इसलिए प्रवासी मजदूर निजी अस्पताल को ज्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि गंभीर बीमारी होने पर 29 प्रतिशत मजदूर सरकारी अस्पताल जाने की बात करते हैं। 18 प्रतिशत मजदूर घरेलू उपचार पर भरोसा करते हैं, गंभीर बीमारी में डॉक्टर की मदद की बहुत जरूरत होने पर आखिरी उपाय के रूप में वे अस्पताल जाना चाहेंगे।

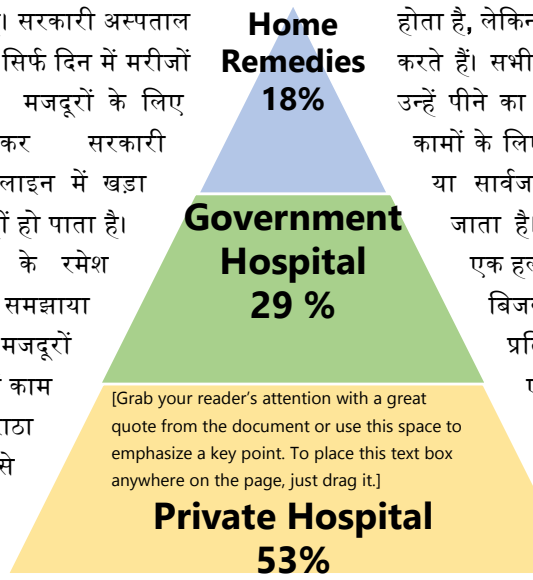


[Grab your reader's attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.]

मजदूरों ने बताया कि गंतव्य में टेंडर मजदूरों के रहने के लिए बनाये गये कैंपों में बहुत भिन्नता होती है, अलग-अलग बागों एवं खेतों में अलग तरह से कैंप बसाये जाते हैं। सालों से मजदूरों को काम पर रखने वाले किसानों ने शेड्स बनाये हैं, मजदूर इन शेड्स का उपयोग रहने के लिए करते हैं। लेकिन अधिकांश किसान इन शेड्स में कृषि उपकरणों को रखते हैं, इसलिये वे मजदूरों को इसमें रहने नहीं देते। ऐसी स्थिति में मजदूरों को खुले में रहना पड़ता है।

प्रवेश ने बताया कि कुछ किसान जो सालों से एक ही समूह के मजदूरों को काम पर रखते हैं एवं जिनके पास बड़ी जोत है, उनमें मजदूरों के रहने के लिए इंतजाम करने का रुझान ज्यादा होता है, लेकिन छोटे किसान ऐसा नहीं करते हैं। सभी मजदूरों ने बताया कि उन्हें पीने का पानी मिलता है। दूसरे कामों के लिए पानी खेत में बोरवेल या सार्वजनिक हैंडपंप से लिया जाता है। फोन चार्ज करने एवं एक हल्का बल्ब जलाने के लिए बिजली दी जाती है। 17 प्रतिशत संविदा मजदूर एवं 15 प्रतिशत कटाई मजदूरों ने शौचालय सुविधा मिलने की बात बतायी। बाकी मजदूर खुले में शौच करते हैं।

मजदूरों से हिंसा एवं प्रताड़ना के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि कभी-कभी मजदूरों को किसानों की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करने के कारण गाली-गलौज एवं डांट-डपट सुननी पड़ती है। सूबीर के अश्विन बताते हैं कि कुछ मजदूर नए होने के कारण या लापरवाह होने के कारण किसान से डांट खाते हैं। किसान को अगर लगता है कि कोई मजदूर लगातार ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वह मुक़द्दम से शिकायत करता है एवं उससे उस मजदूर को हटाकर दूसरा मजदूर लाने की मांग करता है।

समूह में चर्चा के समय सूबीर के अश्विन ने ऐसे ही एक मजदूर सुभाष के बारे में बताया जो उसके गाँव का है एवं पिछले 3 साल से पलायन करते आ रहा है। अश्विन ने बताया कि सुभाष अन्य मजदूरों की तुलना में काम में सुस्त था एवं अक्सर काम में लापरवाह भी था। अंगूर की खेती बहुत सावधानी से

किया जाने वाला एवं थका देने वाला काम है, इसलिए एक मजदूर के सुस्त एवं लापरवाह होने से पूरे समूह के काम पर असर होता है। सुभाष ने बताया कि 2019 में उसका एक किसान से झगड़ा हो गया था। सुभाष ने बताया कि किसान और उसके परिवार के लोग हमेशा मजदूरों की निगरानी करते थे एवं बहुत ज्यादा दखलंदाजी करते थे। इसके कारण उसका काम प्रभावित होता था। किसान जब सुभाष को उसके कहने के तरीके पर काम करने को लेकर जिद करने लगा तो सुभाष के साथ उसका झगड़ा हो गया। मुक़द्दम प्रवेश को दखल देना पड़ा एवं आगे झगड़ा होने से बचने के लिए सुभाष को दूसरी टोली में काम करने के लिए भेज दिया गया एवं उसकी जगह पर दूसरे मजदूर को काम पर लगाया गया। सर्वे में किसी मजदूर ने उनके ऊपर शारीरिक हिंसा या गाली-गलौज होने की बात नहीं कही। इस सवाल को समूह चर्चा में भी रखा गया था। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने किसी मजदूर पर हिंसा होते नहीं देखा है ना ही इस तरह की घटना के बारे में सुना है। मजदूरों ने बताया कि किसान एवं उसके परिवार के लोग अक्सर काम के समय टीम के काम की प्रगति का जायजा लेने बाग में आते थे। उन्हें अगर काम में प्रगति नहीं दिखती एवं अपेक्षा के अनुसार काम नहीं होता दिखतातब वे इसे मुक़द्दम को बताते थे। मजदूरों को डांटने की कुछ छोटी-मोटी घटनाएं भी हुई थीं। लेकिन समय सीमा के अंदर काम पूरा होने को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी मुक़द्दम की होती है। इसलिए प्रवेश की तरह के मुक़द्दम जिन्होंने मजदूरों के बहुत सारे समूहों को काम पर लगाया होता है उन्हें अक्सर समय पर काम को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए पूरा दिन एक काम की जगह से दूसरे काम की जगहों पर दौरा करना पड़ता है।

पदलखड़ी गाँव की सुनीता बताती हैं कि सीजन की शुरुआत में जब महिलाएं पत्तों को हटाने का काम करती हैं एवं पहली डुबकी के बाद अतिरिक्त

शाखाओं को हटाने का काम करती हैं, तब किसान महिला मजदूरों के साथ किसी तरह की बात नहीं करते हैं। काम के बारे में अगर उसे कुछ कहना होता है तो उसे मुक़द्दम की पत्नी को बताता है। काम की देख-रेख के लिए मुक़द्दम की पत्नी फार्म में मौजूद रहती है।

सात प्रतिशत मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने की बात बतायी। इसके बारे में मजदूरों द्वारा क्या किया गया पूछने पर उन्होंने कहा कि किसान ने अंगूर खरीदने वालों से भुगतान नहीं मिलने या अंगूर नहीं बिकने को कारण बताया। मजदूरों ने साझा किया कि किसान अंगूर बेचकर उससे मिलने वाले पैसे से उनकी मजदूरी का भुगतान करता है एवं निर्यात किये गये अंगूरों का भुगतान होने में अक्सर देरी होती है। मजदूरों ने बताया कि किसान को निर्यात के किये गये अंगूरों का भुगतान दो-तीन महीने बाद किया जाता है, इसलिए मजदूरों को भी देरी से मजदूरी मिलती है। इस कारण से ज़्यादातर मजदूर ऐसे किसानों के लिए काम करना चाहते हैं जो घरेलू बाजार में अंगूर बेचते हैं एवं सिर्फ निर्यात करने वाले किसानों के लिए काम करने से बचते हैं।

**कोविड 19 का प्रभाव:** महाराष्ट्र में पलायन करने वाले मजदूरों पर कोविड 19 का प्रभाव मार्च 2020 से सीएलआरए के अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू रहा है। मजदूरों से कोरोना बीमारी के कारण अंगूर फार्मों में उनके काम पर होने वाले प्रभावों के बारे में सवाल पूछा गया। काम के संदर्भ में 80 प्रतिशत मजदूरों के लिए महामारी के कारण उनके काम पर किसी तरह का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। 15 प्रतिशत मजदूरों ने मजदूरी का काम कम मिलने की बात साझा की एवं 5 प्रतिशत मजदूरों ने काम का

Table 22: Effect of Covid on Work

| Effect | No. of Respondents (Percentage) |
|---|---|
| No Effect on Work | 80 |
| Less work available | 15 |
| Work load increased | 5 |
| Total | 100 |

बोझ बढ़ने की शिकायत की। इसी आंकड़े से मेल खाता आंकड़ा बताता है कि 94 प्रतिशत मजदूरों ने कोविड 19 के कारण उनकी मजदूरी पर किसी तरह का असर नहीं होने की बात कही, 4 प्रतिशत मजदूरों ने मजदूरी कम होने की बात बतायी एवं 2 प्रतिशत मजदूरों ने उनकी मजदूरी बढ़ने की बात कही।

मजदूरों से आगे और पूछताछ करने पर उन्होंने पहुँच एवं यातायात संबंधी परेशानियों के बारे में बताया। महाराष्ट्र  बहुत लंबे समय तक रेड जोन बना रहा जिसके कारण महाराष्ट्र में जाने पर कई तरह की पाबंदी लगी रही। कोविड पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। मार्च 2020 में कटाई के लिए नाशिक गए मजदूर वहीं रुके हुए थे। सर्वे में शामिल मजदूरों के 46 प्रतिशत को वहाँ से आने में दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र एवं गुजरात बार्डर पर लगातार चेकिंग हो रही थी एवं सीमा बंद कर दी गयी थी। हालांकि 35 प्रतिशत मजदूरों ने किसी तरह की दिक्कत नहीं होने की बात कही क्योंकि ये लोग राज्य सरकार द्वारा तालाबंदी लागू करने के पहले ही घर वापस आ चुके थे। 15 प्रतिशत मजदूरों को कोरोना के बढ़ते केस के डर के कारण कम रोजगार मिला एवं रोजगार मिला भी तो कम मजदूरी पर काम करना पड़ा।

28 प्रतिशत मजदूरों ने घर पहुँचने में दिक्कत होने की बात कही,उन्हें खेतों के रास्ते घर पहुँचना पड़ा एवं बार्डर पर पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी। 14 प्रतिशत मजदूरों ने परिवार के लिए भोजन निश्चित करने में दिक्कत होने की बात बतायी। 83 प्रतिशत मजदूरों को कोरोना बीमारी का शिकार हो जाने का डर सताया जिसके कारण वे मानसिक पीड़ा एवं चिंता का शिकार हो गए। उन्हें यह चिंता सता रही थी कि क्या उनके पास अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने का कोई साधन भी है या नहीं। 4 प्रतिशत मजदूरों ने महामारी के कारण मजदूरी देर से मिलने की शिकायत की।  सिर्फ 41 प्रतिशत मजदूरों ने कोरोना की जांच करवायी एवं इनमें से किसी को यह बीमारी नहीं हुई।

Table 23: Difficulties faced due to Covid 19

| Difficulties | No. of Respondents (Percentage) |
|---|---|
| Restrictions in travelling to Maharashtra | 46 |
| Lack of work/ less work available | 15 |
| No difficulty faced | 34 |
| Did not respond | 2 |
| Returned before lockdown, so not faced any difficulties | 1 |
| Decrease in daily wage rate | 2 |
| Total | 100 |

## अध्याय 7

# समापन टिप्पणियाँ

इस अध्ययन के निष्कर्ष अंगूर की खेती के लिए जरूरी श्रम प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, साथ ही उत्पादन में लगे मजदूरों की स्थिति को भी सामने लाते हैं। नाशिक के अंगूर उत्पादन में प्रवासी मजदूरों का श्रम आवश्यक पुर्जा है। इस जिले को सबसे प्रमुख अंगूर उत्पादक होने का श्रेय प्रवासी मजदूरों के योगदान के बगैर असंभव एवं अकल्पनीय है।

ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पलायन से नाशिक एवं इसके ब्लॉकों को मजदूरों के श्रम शक्ति का लाभ मिला। ये मजदूर बेहतर रोजगार के विकल्प के लिए व्यापारिक फल एवं सब्जी के खेत में काम करने के लिए पूरे जिले में पलायन कर रहे थे। किसानों ने बताया कि प्रवासी मजदूर स्थानीय मजदूरों की तुलना में ज्यादा मेहनती एवं आज्ञाकारी हैं, इसलिए काम के लिए प्रवासी मजदूरों को ज्यादा तरजीह दी जाने लगी है। प्रवासी मजदूरों को तरजीह देने का चलन काफी जगहों पर देखा जा रहा है, खासकर सुदूर आदिवासी पट्टी से पलायन करने वाले मजदूरों को काम के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है। इन क्षेत्रों के अपर्याप्त संसाधन एवं स्थिति लोगों को गुजर-बसर करने लायक टिकाऊ रोजगार नहीं दे पाता है। इसके ऊपर मजदूर खुद मौजूदा रोजगार की जगह पर दूसरा रोजगार खोज रहा है।

प्रवासी मजदूरों में उभर रहे एक रुझान से, विशेष रूप से डांग के प्रवासी मजदूरों के रुझान से, इसे मदद मिल रही है। मजदूर गन्ना कटाई का काम छोड़कर फूल, फल एवं सब्जी पैदा करने वाले

नाशिक जिले के गांवों में खेती में काम करने के लिए पलायन कर रहे हैं। नाशिक का मौसम एवं भौगोलिक स्थिति बागबानी एवं व्यापारिक फसल के लिए अनुकूल है। इनकी खेती बढ़ने के साथ खेत मजदूरों की जरूरत भी बढ़ने लगी। प्रवासी मजदूर के रूप में किसानों को आज्ञाकारी एवं दब्बू मजदूर मिले जो कम मजदूरी एवं न्यूनतम सुविधा के साथ ज्यादा घंटे काम करते हैं। किसानों के लिए प्रवासी मजदूरों का महत्व कितना ज्यादा है, इसे समझाने के लिए मजदूरों ने बताया कि सीजन शुरू होने के बहुत पहले किसान मजदूरों के गाँव (स्रोत क्षेत्र ) पहुंचता है एवं मुक़द्दम को मजदूरों को काम के लिए बुक करता है। किसान एवं मुक़द्दम प्रति एकड़ का रेट तय करता है, कितने प्लॉट पर काम होगा तय करता है, मजदूरों की संख्या एवं काम के घंटे तय करता है, मुक़द्दम का पता लेता है एवं उसे बुकिंग के एवज में 40000 से 50000 रुपये देता है।

प्रवासी मजदूरों में 95 प्रतिशत आदिवासी हैं एवं बाकी दलित हैं जिन्होंने अपने मूलनिवास पर गुजर-बसर के लिए टिकाऊ रोजगार की कमी के कारण नाशिक में खेत मजदूर के रूप में पलायन किया। सर्वे में 81 प्रतिशत मजदूर पुरुष थे, लेकिन महिला मजदूर भी पलायन करती हैं। काम के स्वरूप एवं पलायन के पैटर्न से लगता है कि सामान्यतः पुरुष ही पलायन करते हैं जबकि महिला घर पर गृहस्थी एवं परिवार की देख-रेख करती हैं।

अंगूर के खेतों में काम करने के लिए पलायन

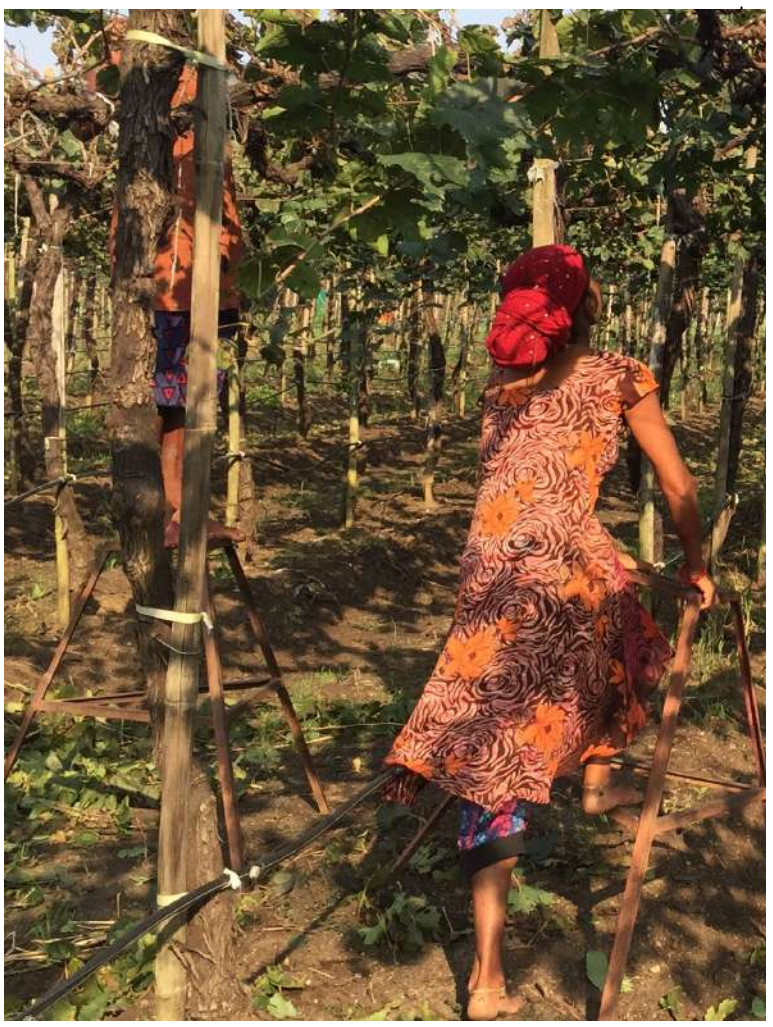

करने वालों में बहुसंख्यक, 66 प्रतिशत मजदूर 19-29 साल की उम्र के हैं। इसके बाद 30-39 साल तक की उम्र के मजदूरों की संख्या ज्यादा है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि युवा पीढ़ी पूर्ववर्ती पीढ़ी की तुलना में ज्यादा संख्या में अंगूर के फार्मों में काम करने के लिए पलायन कर रही है। पुरानी पीढ़ी अभी भी गन्ना कटाई का काम कर रही है यह बात चर्चा में सामने आयी। कुछ शिक्षित मजदूरों को गन्ना कटाई के काम से ज्यादा अंगूर की खेती में मजदूरी करने में फायदा दिखता है। मजदूरों की युवा पीढ़ी पहली पीढ़ी के मुक़ाबले ज्यादा शिक्षित है (याद करें कि 71 प्रतिशत मजदूरों को किसी ना किसी तरह की शिक्षा मिली है)। लहनकदमल में अंगूर मजदूरों के साथ समूह चर्चा से यह बात सामने आयी कि युवा पीढ़ी को अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए नगदी की जरूरत है, अंगूर के फार्मों में काम उसे कम समय में यह देता है। इस गाँव के 30 साल के मुक़द्दम प्रवेश 120 मज़दूरों कों हर साल अंगूर के फार्मों में काम करने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंगूर के फार्मों में काम मजदूरों को कम समय में मुक़द्दम बनने का अवसर देता है जबकि गन्ना कटाई के काम में इसमें काफी समय लग जाता है। इसके ऊपर अंगूर के काम में 4-5 महीने में मजदूर गन्ना कटाई करने के एक सीजन की तुलना में ज्यादा पैसा बचा पाता है। इस तरह से युवा पीढ़ी का धीरे-धीरे अंगूर की खेती की ओर मुड़ने का रुझान शुरू हुआ।

पाठकों को याद होगा कि परिवार के सर्वे से पता चलता है कि बहुसंख्यक मजदूरों(संविदा मजदूरों के 81 प्रतिशत एवं अंगूर कटाई मजदूरों के 91 प्रतिशत) ने पिछले 5 साल से अंगूर के बागों में काम करने के लिए पलायन किया है। इस निष्कर्ष को मजदूरों की उम्र एवं पिछले 5 सालों में गन्ना कटाई से हटकर अंगूर के काम के लिए पलायन को एक साथ जोड़कर देखने पर एक दिलचस्प रुझान दिखता है। अर्जुन (लवचली), प्रवेश (लहनकदमल), कल्पेश (पदलखड़ी) एवं महेश (गयगोथन) जैसे युवा मुकद्दमों से चर्चा में युवा पीढ़ी के गन्ना कटाई के काम से मुंह मोड़कर महाराष्ट्र के व्यापारिक फल एवं सब्जी की खेती की ओर पलायन करने का रुझान साफ है। गन्ना कटाई के काम के लिए आज भी डांग जिला प्रमुख पलायन स्रोत है। समूह में चर्चा करने के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि वे पहले गन्ना कटाई का काम करते थे, लेकिन एक बार नाशिक जाने के बाद उन्होंने दक्षिण गुजरात के मैदानी क्षेत्र में पलायन करना बंद कर दिया। लेकिन उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी गन्ना कटाई का काम करते हैं।

समूह ने अंगूर की खेती में काम करने को पसंद करने के कई कारण गिनाये। पहले तो 8-10 घंटे काम के लिए मिलने वाली मजदूरी 200-250 रुपये के बीच है। गन्ना कटाई के काम में एक टन गन्ना काटने के एवज में एक कोयता को 278 रुपये मिलतेहैं, जिसका मतलब एक मजदूर को सिर्फ 139 रुपये ही मिलते हैं। मजदूरों ने बताया कि गन्ना कटाई के काम का स्वरूप एवं काम करने की कठोर परिस्थिति सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण उन्होंने अंगूर की खेती में काम करना पसंद किया। अंगूर फार्म में काम करने का समय 8-10 घंटे तय है जबकि गन्ना कटाई के काम में 12-14 घंटे काम करने पड़ते हैं एवं रात में ट्रक को लोड करने का काम भी करना पड़ता है। मजदूरों ने

13. कोयता: 2 मजदूरों का एक समूह जिन्हें दिन में एक टन गन्ना काटना पड़ता है

समझाया कि अंगूर के फार्म में छांव में काम करना कठोर मौसम में गन्ना कटाई का काम करने की तुलना में ज्यादा आरामदायक है। इसके अलावा अंगूर के काम में मजदूरों को ज्यादा मजदूरी एवं बगैर ब्याज के अग्रिम मिलता है जबकि गन्ना कटाई के काम में उन्हें लिए हुए अग्रिम एवं साप्ताहिक भत्ते पर 50 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। गणेश पिछले 8 साल से अंगूर के बागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि अंगूर का काम करने वाले मजदूर कम समय के पीस रेट या दिहाड़ी के रूप में अतिरिक्त आमदनी करते हैं। वे इस पैसे की बचत करके एसेट खरीदने या गाँव में खेती में निवेश करने (जिनके पास खेती करने लायक जमीन है) या अन्य किसी उद्यम में निवेश करने में लगा सकते हैं।

अश्विन एवं सुभाष ने बताया कि जिन दिनों अंगूर के बाग में काम नहीं रहता है, उन दिनों का उपयोग अंगूर की खेती में काम करने वाले मजदूर पैसे के बदले किसी विशेष काम के लिए करते हैं । दोनों ने समझाया कि छोटे किसान मजदूर समूह को संविदा के तहत काम पर रख नहीं पाते है। इन्हें अलग-अलग कामों के लिए मजदूर समूह को अलग –अलग बुलाना पड़ता है। श्रम प्रक्रिया के अध्याय में बताया गया है कि इन किसानों को प्रति एकड़ इस तरह से काम लेने के लिए 30000-35000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं जबकि वे किसान जो एक साथ मजदूरों को पूरे काम के लिए रखता है उन्हें प्रति एकड़ पर 23000-24000 रुपये ही मजदूरी देनी पड़ती है। यह अतिरिक्त आमदनी मजदूरों के सीजन की कमाई में जुड़ जाती है।

मजदूरों ने आगे और बताया कि किसान प्रति एकड़ पर काम के लिए सीजन की शुरूआत में एक क्विंटल अनाज देता है। किसान शाम के समय चाय भी पिलाता है। अंगूर का उत्पादन बढ़िया होने पर मजदूरों को एक जोड़ी कपड़ा भी देता है।

मजदूरों ने बताया कि अंगूर के काम के अलावा कृषि क्षेत्र के दूसरे किसी रोजगार में इस तरह का अतिरिक्त फायदा उन्हें अभी तक नहीं मिला है।

**मजदूरी की मैपिंग:**

अंगूर के काम और गन्ना कटाई का काम जिसमें डांग के लोग पीढ़ियों से रोजगार करते आ रहे हैं, से ज्यादा मजदूरी मिलने की धारणा को परखने के लिए हमने दोनों समूह के मजदूरों की मजदूरी का हिसाब लगाने की कोशिश की एवं इन्हें महाराष्ट्र के मौजूदा न्यूनतम मजदूरी से तुलना की।

मजदूरों ने सर्वे में एवं चर्चा के समय एक सीजन में औसत 105 दिन (घर वापसी के दिन एवं बीमारी के कारण छुट्टी लेने के दिन को छोड़कर) काम करने की बात बतायी। अंगूर के बाग में जिस दिन काम नहीं रहता, उन दिनों में वे दूसरे खेतों में दिहाड़ी पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि काम

नहीं करने पर उन्हें जुर्माना देना पड़ता था।

अध्ययन के अनुसार टेंडर मजदूरों की औसत मजदूरी 232 रुपये है। इसे महाराष्ट्र में 8 घंटे के काम के लिए सरकार द्वारा खेत मजदूरों के लिए जारी न्यूनतम मजदूरी 256 रुपये के साथ तुलना करें। प्रवासी मजदूर अंगूर के फार्मों में सबेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 10 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे से ऊपर के काम के लिए 2 गुना दर से मजदूरी देने का प्रावधान है। इस हिसाब से अंगूर मजदूरों को 384 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। कानूनन मजदूरों को एक सीजन में 40,320 रुपये मिलने चाहिए लेकिन मजदूरों को एक सीजन में औसत 23,500 रुपये मजदूरी मिलती है।

अंगूर कटाई करने वाले मजदूरों को औसत 232 रुपये दिहाड़ी मिलती है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा 8 घंटे काम के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी 256 रुपये से कम है।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती।

**मुक़द्दम की भूमिका एवं काम का बोझ :**

एक मजदूर औसत 32 एकड़ के अंगूर के बाग में काम करता है। एक टीम में औसत 10-12 मजदूर होते हैं जो एक दिन में एक प्लॉट का काम पूरा कर सकते हैं। बड़ी टीम के मजदूर कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं, इसलिए इस टीम के मजदूरों को एक से ज्यादा प्लॉट में काम करने के लिए लगाया जाता है। इस कारण प्रवेश जैसे मुक़द्दम जिनके पास 120 मजदूरों की टीम है, पिछले सीजन में 80 प्लॉट्स पर काम किया था।

मुकद्दमों ने समझाया कि युवा मुकद्दमों की संख्या बढ़ने के बावजूद बहुत कम इस काम में टिक पाते हैं। मुक़द्दम को अपने टीम के सभी मजदूरों को पैसा देने के लिए कर्जा लेने की आर्थिक हैसियत होनी चाहिए। सभी मजदूर अग्रिम नहीं लेते हैं लेकिन मुक़द्दम के पास सभी को पैसा देने के लिए पर्याप्त पैसा होना जरूरी है। मुक़द्दम को गंतव्य में रहने के समय किसी आपात स्थिति में दवाई, डॉक्टर, अस्पताल के खर्च के लिए भी पैसा रखने की जरूरत होती है। खतरनाक एसिड एवं रसायनिक घोल के साथ काम करने वाले मजदूरों के

14. Monthly minimum wages for Zone III for unskilled agricultural wages is Rs. 6652 i.e. a daily wage of Rs. 255.84 (source: https://www.workforce.org.in/blog/minimum-wages-in-maharashtra-1st-july-2021/ accessed on December 10th, 2021)

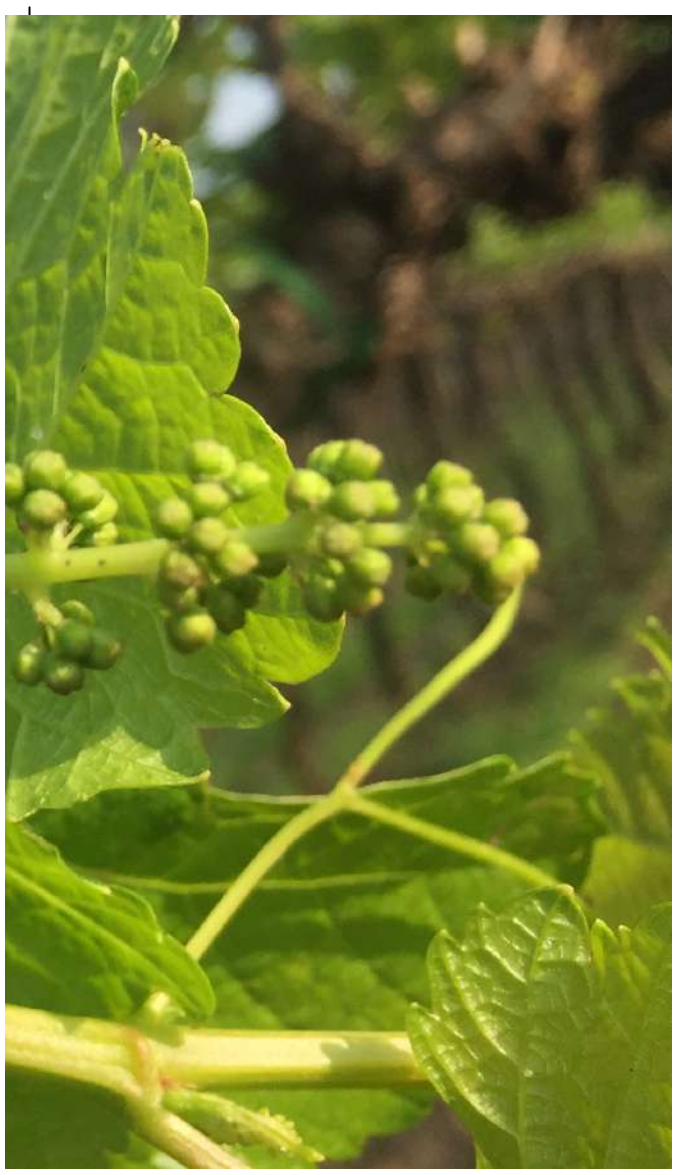

लिए किसी भी समय दवाई, डॉक्टर, अस्पताल की जरूरत हो सकती है।

हालांकि अंगूर का काम गन्ना कटाई के काम जैसा कठिन एवं थका देने वाला नहीं होता, लेकिन मुकद्दमों पर मजदूरों की कार्य कुशलता को बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी, काम की प्रगति सुनिश्चित करने, काम की गुणवत्ता को बनाए रखने, सभी फार्मों में काम की देख-रेख एवं समय पर किसान से मजदूर एवं अपने लिए पैसा मिलने को सुनिश्चित करने जैसी कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं। युवा मुकद्दमों के समूह ने समझाया कि हर सीजन एक मजदूर के लिए 500 या 1000 रुपया कमीशन के एवज में उन्हें इन कामों के अलावा सभी मजदूरों की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है।

जमीन मालिक स्टैम्प पेपर पर एक समझौता पत्र तैयार करता है जिसमें संविदा की अवधि, तय कि गयी रकम, की गयी अग्रिम भुगतान की राशि लिखी रहती है। इसमें सभी मजदूरों के आधार कार्ड का विवरण एवं पुलिस वेरीफिकेशन के कागज भी रहते हैं। यह किसान के हित की सुरक्षा करता है, किसी मजदूर के काम छोड़कर भाग जाने पर पुलिस द्वारा उसका पता लगाया जाता है। हालांकि इस तरह की कोई सुरक्षा मुकद्दमों एवं उसके मजदूरों को नहीं मिलती। समझौते पत्र की कॉपी भी मुक़द्दम एवं मजदूरों को नहीं दी जाती है।

यह सवाल लाजिम है कि मजदूरों का यह कौन सा नया वर्ग है जो मुक़द्दम बन रहा है एवं किस तरह की पूंजी के बदौलत यह काम कर पा रहा है? इसके साथ मजदूरों की पूर्ति करने के एवज में मिलने वाले कमीशन के अलावा उन्हें किस तरह की सुविधा मिलती है? किसान उन्हें काम को ठीक से एवं पूरा करवाने के लिए किस तरह का प्रोत्साहन देता है? गन्ना कटाई का काम जिसे छोड़कर अंगूर के काम में आ रहे हैं, में मजदूर एवं कर्ज के बीच मजबूत अंतरसंबंध है। यह संबंध मजदूरों को गन्ना कटाई के काम में फंसा कर रखता है। युवा पीढ़ी किस तरह से पीढ़ियों के इस फांस से निकल कर अंगूर की खेती की ओर रुख कर पा रहे हैं –इसे समझने के लिए अलग अध्ययन की जरूरत है।

**काम में सुरक्षा और खतरा :** श्रम प्रक्रिया के अध्याय में हमने बताया है कि अंगूर की खेती में विकास बढ़ाने का पेस्ट एवं विकास नियंत्रक घोल के साथ काम करना पड़ता है। ये दोनों बहुत हानिकारक है। मजदूरों ने मैपिंग के दौरान बताया कि पेस्ट के काम में कौशल एवं अनुभव की जरूरत होती है। गयगोठन गाँव के गोविंद ने समझाया कि पेस्ट का उपयोग करने में सावधानी नहीं बरतने से अक्सर नए मजदूरों के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। गोविंद पिछले सात साल से अंगूर खेती में काम करने के लिए पलायन करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक दो साल जख्मी होने के बाद वे पेस्ट एवं डुबाने वाले घोल को सुरक्षित तरीके से उपयोग करना सीख पाये।

उन्होंने विस्तार से समझाया कि अंगूर के गुच्छों को विकसित करने वाले घोल में डुबाया जाता है। यह घोल छोटे कप में होता है। टहनियों पर पेस्ट लगाते समय त्वचा के पेस्ट के संपर्क में आने की ज्यादा संभावना रहती है। त्वचा के साथ सीधा संपर्क होने से फफोले पड़ जाते हैं एवं गंभीर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं एवं मजदूरों को काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। किसान द्वारा किसी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करायी जाती है, इसीलिए गोविंद की तरह अनुभवी

मजदूर जुराब या अन्य किसी तरह के कपड़े का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद डाई दस्तानों (ग्लब्स) या कपड़े में घुस जाता है एवं मजदूरों के शरीर पर गहरे दाग छोड़ जाता है। कई दिनों तक मजदूरों के पैर एवं नाखून मेजेंटा रंग के बने रहते हैं।

चिखली गाँव की सुनीला बताती हैं कि डुबाने वाले घोल से भी एलर्जी होती है लेकिन वह पेस्ट की तरह नुकसानदायक नहीं होता। उन्होंने साझा किया कि पेस्ट लगाने एवं डुबाने के कई दिनों तक डाई को धोया नहीं जा सकता एवं उन्हें आशंका है की डाई एवं घोल मजदूरों द्वारा बनाए गए खानों में मिल जाता है। सुनीला ने बताया कि मजदूरों को पेस्ट लगाने एवं घोल में डुबाने के काम के पहले रात में शराब ना पीने की सख्त हिदायत दी जाती है। उन्होंने एक घटना साझा की जिसमें एक मजदूर को दिल का दौरा पड़ गया था क्योंकि उसने शराब पिया था। खून में शराब पेस्ट के साथ घुल गया एवं धूप के कारण उसे दिल का दौरा पड़ गया।

शराब नहीं पीने की हिदायत देने के लिए इस घटना एवं तर्क को गंतव्य एवं स्रोत में मजदूरों के साथ चर्चा में कई मजदूरों ने उद्धृत किया एवं दोहराया। प्रवेश ने इसे मिथक बताया एवं कहा कि यह अफवाह किसानों ने मजदूरों को अंगूर फार्म में काम करने के समय शराब पीने को हतोत्साहित करने के लिए फैलाया है। हालांकि इससे इस तरह के पेस्ट एवं घोल का मजदूरों की सेहत पर खराब असर होने की बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह काम पिछले दशक से ही तेजी से बढ़ा है, इसलिए इसका मजदूरों के स्वास्थ्य पर लम्बे अरसे में होने वाले प्रभाव को अभी देखा जाना बाकी है।

यह बात विशेष रूप से टेंडर मजदूरों के लिए सच है क्योंकि मजदूर हमेशा खाने में पेस्ट के कण एवं डाई के मिल जाने की आशंका जताते हैं। इसके अलावा हाथ–पैर में सूजन एवं जोड़ों में लगातार दर्द के लक्षण होने की बात सामने आयी है। यह वर्षो से अंगूर कटाई का काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सच है।

मजदूरों के काम करने की स्थिति भी अन्य कृषि मजदूरों से ज्यादा अलग नहीं है। मजदूरों ने 10-12 घंटे काम करने की बात बतायी। पीस रेट में काम होने के कारण अक्सर किए गए काम के अनुरूप नहीं होता। इसलिए अंगूर की खेती में मजदूरों का उतना शोषण होता है जितना कि इस भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले अन्य कृषि कामों में होता है (गन्ना कटाई, मौसमी कृषि काम एवं मजदूरी बटाईदारी का काम)।

यही बात मजदूरों के रहने की स्थिति पर लागू होती है। प्रवास के दौरान टेंडर एवं कटाई के दोनों तरह के मजदूर गाँव के बाहर अंगूर फार्म के नजदीक में कैम्प में रहते हैं। यह कैम्प चारों ओर से एक तरह खुला ही रहता है। कुछ किसान जो एक समूह के मजदूरों को हर बार काम पर रखते हैं, वे मजदूरों को शेड में रहने देते हैं। इस शेड में किसान खेती का समान रखते हैं। मजदूरों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती एवं बिजली की न्यूनतम सुविधा ही मिलती है। सभी मजदूरों ने नजदीक स्रोत से पानी मिलने की बात बतायी है। लेकिन मजदूरों के बच्चों के लिए पोषण एवं औरत तथा बच्चों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए मजदूर

निजी स्वास्थ्य केंद्र एवं निजी डॉक्टर पर निर्भर करते हैं या घरेलू उपचार पर भरोसा करते हैं। हालत गंभीर होने पर ही वे सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं।

इस तरह अंगूर के काम में गन्ना कटाई के काम की तुलना में ज्यादा मजदूरी, कम समय के लिए पलायन से पीस रेट पर कई तरह के काम करने का अवसर, जरूरत के समय एवं आपात स्थिति में बगैर ब्याज के अग्रिम मिलना जैसी अनुकूल स्थिति है। युवा मजदूर गुजरात में भाग खेती या राज्य में कृषि क्षेत्र में अन्य कामों की बजाय नाशिक के अंगूर खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। युवा पीढ़ी की पसंद या एजेंसी अंतर-पीढ़ी रुझान से एक कदम आगे है। युवा मजदूरों की पिछली पीढ़ियों के पास दक्षिण गुजरात के मैदानी इलाके में गन्ना कटाई के काम के लिए पलायन करने एवं एक टन गन्ना काटने के एवज में 119 रुपये मजदूरी लेने के लिए मजबूर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा रोजगार नहीं था। मजदूरों में से युवा मुक़द्दम बन रहे हैं। प्रवेश, अर्जुन एवं उसका भाई एवं उनकी तरह लोग अंगूर की खेती में टेंडर या कटाई के काम में कदम रख रहे हैं।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि अंगूर का काम भी गन्ना कटाई के काम की तरह मेहनत एवं थकाने वाला काम है। इसमें मजदूरी अभी भी कम है। घोल एवं पेस्ट से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हमेशा शंका बनी रहती है, इसके साथ 32 प्लॉट में लगातार काम करने की थकान भी शामिल है। प्रति सीजन में ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए मजदूर लगातार काम करते रहते हैं। पहले तो उन्हें संविदा के तहत लिये गये प्लॉट्स के काम ख़त्म करने पड़ते हैं एवं वहाँ दूसरे काम के लिए इंतजार करने के दिनों में अतिरिक्त पीस रेट का काम या दूसरे कृषि काम करने पड़ते हैं। ये अतिरिक्त काम मजदूर प्रवास के दौरान अपने तथा परिवार का गुजर-बसर करने के लिए करते हैं।

गन्ना कटाई करने वाले मजदूर जब अंगूर के खेत में काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें अंगूर का काम ज्यादा बेहतर विकल्प लगता है। अंगूर के काम में मजदूरी एवं काम करने की स्थिति को हम सिर्फ तुलनात्मक रूप से बेहतर कह सकते हैं। सभी तरह के काम करने के बाद मजदूर पूरे सीजन में जो कमाता है उस पर गौर करने से हमें लगेगा कि वह मजदूर की मेहनत के अनुकूल नहीं है एवं न ही पर्याप्त है। यह मजदूरों द्वारा सीजन में कमायी गयी मजदूरी के साथ न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत मिलने वाली मजदूरी की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती है।

किसी भी तरह से सोचने पर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि नाशिक जिले का समृद्ध होता जा रहा अंगूर उद्योग प्रवासी मजदूरों के मेहनत की नींव पर ही खड़ा है।

# परिशिष्ट –1

## अंगूर मजदूरों के काम में सुरक्षा एवं उनका स्वास्थ्य

जगदीश पटेल, पीपल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर,वडोदरा

लेखक इस बात का उल्लेख करना चाहता है कि भारत में मजदूरी पर काम करने वालों में 60-65 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। हालांकि इन मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर कोई कानून नहीं है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की राष्ट्रीय नीति, 2009 में सभी आर्थिक क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का वादा किया गया था। दूसरे श्रम आयोग ने व्यावसायिक सुरक्षा एवं खतरे के लिए अलग कानून बनाने की अनुशंसा की थी। लेकिन भारत ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आइएलओ) की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन, 1981 के 155 नंबर के प्रस्ताव की अभी तक पुष्टि नहीं की है।

खेतिहर मजदूर अक्सर कई तरह के जोखिम एवं खतरों का सामना करते हैं जैसे बिजली से जुड़े हादसे, जानवरों का हमला, साँप का काटना, ट्रैक्टर, हँसिये से जख्मी होना एवं पेड़ से गिरना। इसके अलावा पेशे से जुड़ी कुछ बीमारी भी है। जैविक धूल, पौधों से एलर्जी, कीटनाशक, रात में काम करने का असर, लेप्टोस्पाइरोसिस जैसी बीमारी भी होती है।

**कृषि काम में खतरा:**

- वैश्विक स्तर पर साल में कीटनाशक के कारण पॉयजनिंग (poisoning) की घटना पंजीकृत होती है, इसमें 7 लाख काम से जुड़ी घटनायें हैं।
- कृषि क्षेत्र में 1.70 लाख लोग काम से जुड़े हादसे एवं बीमारी के कारण मर जाते हैं।
- कीटनाशक पॉयजनिंग (poisoning) की 70 प्रतिशत घटना गरीब देशों में होती है, संख्या करीब 11 लाख।
- भारत में 155 पंजीकृत कीटनाशक हैं। कीटनाशक उत्पादन करने के लिए 50 से ज्यादा इकाई हैं, कीटनाशक के लिए रसायन मिलाने की 100 से ज्यादा इकाई हैं। कीटनाशक को बिना किसी प्रतिबंध के बेचा जाता है।
- कमजोर कानून, कमज़ोर अनुपालन
- हादसा एवं पेशेगत बीमारी का कोई आंकड़ा का नहीं होना।

**अंगूर फार्म पर असर**

- अंगूर की खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायन के बारे मे जानकारी "गुड एग्रिकल्चरल प्रैक्टिस फॉर प्रॉडक्शन ऑफ क्वालिटी टेबल ग्रेप्स" से लिया गया है। इसे 2013 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स ने प्रकाशित किया है।
- इन रसायनों के खतरे के बारे में अलग –अलग स्रोत से जानकारी ली गयी है।
- खाद, विकास रेग्युलेटर, कवकनाशी, खरपतवार नाशी एवं कीटनाशक के रूप में 75 से ज्यादा तरह के रसायन का उपयोग किया जाता है।

**अंगूर की खेती में कीटनाशक का उपयोग**

कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेग्युलेशन के अनुसार 2010 में कैलिफोर्निया में पारंपरिक तौर से शराब बनाने के लिए उत्पादित अंगूर की खेती में ढाई करोड़ पाउंड कीटनाशक का प्रयोग किया गया। यह 2009 में कीटनाशक प्रयोग की मात्रा से 19 प्रतिशत ज्यादा था। वाइन अंगूर उत्पादन में बादाम, अंगूर, टमाटर या स्ट्रॉबेरी से ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक का उपयोग 34 प्रतिशत बढ़ा, फफूंदनाशी सल्फर का उपयोग करने वाली जमीन 21 प्रतिशत बढ़ी।

पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (पीएएन) ने वाइन अंगूर की खेती में उपयोग किए गए कीटनाशकों में 10 लाख पाउंड कीटनाशक को खतरनाक माना एवं इनसे कैंसर,न्यूरोटॉक्सिन जैसे बीमारी हो सकती है। साथ में यह भू-जल को भी प्रदूषित करेगा।

**किसान अंगूर पर क्यों छिड़काव करते हैं ?**

परंपरागत वाइन अंगूर की खेती में राउंडअप नाम की शाकनाशी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। हाल के एक अध्ययन ने राउंडअपको स्वास्थ्य के लिए खतरा

बताया है एवं इससे  पार्किनसन बीमारी, बांझपन एवं कैंसर होने का खतरा रहता है। 2010 में वाइन अंगूर की खेती में 4 लाख पाउंड राउंडअप (इसे ग्लाइफोसेट नाम से जाना जाता है) का प्रयोग किया गया था।

**ग्लाइफोसेट से स्वास्थ्य को क्या खतरा है?**

सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर ग्लाइफोसेट में तीव्र विषाक्तता के कम होने की घोषणा की है। हालांकि कृषि मजदूरों ने त्वचा में जलन, त्वचा में घाव, एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी होने की बात बतायी है। इसके बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर जाने से शरीर में जहर भर जाता है जिसके कारण मौत हो सकती है।

स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव:

- कैंसर : कुछ अध्ययन इसे कैंसर से जोड़ते हैं।
- लीवर एवं किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
- प्रजनन एवं वृद्धि  संबंधी समस्या
- गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए जोखिम

हालांकि, ग्लाइफोसेट को कैंसर, अंतःस्रावी-विघटन, सीलिएकरोग, एरिथ्रोसाइट्स, छोटी आंत की बीमारी आदि के जोखिम को बढ़ाने वाला  माना गया है। अंतराष्ट्रीय कैंसर पर अनुसंधान करने वाले समूह 2 ए ने 2015 में ग्लाइफोसेट के पुनर्वर्गीकरण में इसे कैंसर बढ़ाने वाला के रूप में चिन्हित किया । इसके अलावा, कई जांचों ने पुष्टि की है कि राउंडअप जैसे ग्लाइफोसेट में निहित सर्फेक्टेंट, पॉलीएथॉक्सिलेटेड टॉलोएमाइन (पीओईए) का इंसान एवं पारिस्थितिक पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। पिछले 45 वर्षों में ग्लाइफोसेट के व्यापक उपयोग के बाद, लगभग 38 खरपतवार प्रजातियों ने इस शाकनाशी के लिए प्रतिरोध विकसित किया। इसलिए हाल के वर्षों में 20 देशों ने इसके उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित कर दिया है।

**हाइड्रोजेन साइनाइड का उपयोग**

- हाइड्रोजेन साइनाइड बहुत ही जहरीला रसायनिक एजेंट है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार में किया जाता है। यह किसी रंग के बगैर गैस या तरल है, इसकी गंदी बदबू आँख एवं श्वशन तंत्र में जलन पैदा करती है एवं जहरीला प्रभाव छोड़ती है।
- त्वचा एवं सांस के माध्यम से अंदर जाने से घातक हो जाता है।
- इसके स्पर्श से त्वचा एवं आँखों में तीव्र जलन होगा। त्वचा के संपर्क में आने या सांस से अंदर जाने का असर देर से हो सकता है।
- बहुत ही खतरनाक। इसकी शुरुआती गंध बहुत ही बदबूदार है एवं सूंघने की क्षमता को समाप्त कर सकती है।  इस गैस के संस्पर्श में आने से जलने, चोटिल होने एवं ठंड से होने वाले जख्म हो सकते हैं। .
- आग से जलन पैदा करने वाली, संक्षारक और/या जहरीली गैसें पैदा होंगी। हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकते हैं। गर्मी, चिंगारी या आग की लपटों से प्रज्वलित हो सकता है। तरलीकृत गैस के वाष्प शुरू में हवा से भारी होते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं। वाष्प प्रज्वलन के स्रोत तक जा सकते हैं। आग के संपर्क में आने वाले सिलेंडर दबाव कम करने वाले उपकरण के माध्यम से जहरीली और ज्वलनशील गैस को बाहर निकाल सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जब गर्म होंगे तो डिब्बे फट भी सकते हैं।(ईआरजी, 2016)

**कवकनाशी का उपयोग:**

- कॉपर सल्फेट से आँखों में तीव्र जलन होती है। कॉपर सल्फेट ज्यादा मात्रा में खाने से जी मिचलाना, उल्टी, शरीर के टिशू, रक्त कोशिका, लीवर एवं किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसके बहुत ज्यादा संस्पर्श में आने से मौत भी हो सकती है या शॉक भी लग सकता है। कॉपर उत्पाद के संस्पर्श से नाक, मुंह एवं आँख में जलन हो सकती है एवं कई बार जी मिचलना एवं पेट खराब हो सकता है।
- कार्बेण्डजिम किसी भी जीव खासकर इंसानों के लिए खतरा है। कार्बेन्डाजिम प्रतिरक्षा, तंत्रिका या अंतःस्रावी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। यह सामग्री आंख और त्वचा को असहज करता है।
- कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कवकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके धुएं एवं डस्ट से नाक एवं ऊपरी श्वशन तंत्र में जलन हो सकती है। लंबे दिनों तक सांस से अंदर जाने पर नुकसान हो सकता है। निगल जाने से नुकसान हो सकता है। आंखो में भी थोड़ा जलन हो सकती है।

**अन्य रसायन:**

- फोरक्लोरफेनुरॉन हॉरमोन है एवं इससे कैंसर होने का अनुमान लगाया जाता है।
- लैम्ब्डा-साइहलोथ्रिन कीटनाशक है। इससे त्वचा, गला, नाक एवं शरीर के अन्य भाग में जलन हो सकती है। चेहरे के पास त्वचा में झुनझुनी,जलन एवं चुभन होना इसके संस्पर्श में आने का लक्षण है। सिर चकराना,जी मचलाना ,सिर दर्द,भूख नहीं लगना एवं थकान इसके अन्य लक्षण हैं। इसे धूल या धुंध और अंतर्ग्रहण द्वारा शरीर में लीन किया जा सकता है। इससे आंखों में गंभीर जलन होती है। विषाक्तता के लक्षणों में जलन, ऐंठन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश शामिल हैं। त्वचा के संपर्क में आने से झुनझुनी, खुजली, जलन या चुभने जैसी अनुभूति हो सकती है। इसका असर इसके संपर्क में आने के तुरंत से लेकर 4 घंटे में हो सकता है एवं बगैर किसी नुकसान के 2-30 घंटे तक रह सकता है।
- हेक्साकोनाज़ोल कवकनाशी है। खतरा : जहरीला। निगल जाने से नुकसानदायक। त्वचा में एलेर्जिक प्रतिक्रिया होगी।

**क्या किया जा सकता है?**

- मजदूरों को स्थानीय भाषा में इस विषय पर जानकारी दी जा सकती है।
- अध्ययन सामग्री मजदूरों के अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग करने के लिए उनके साथ सलाह करके तैयार की जा सकती है।
- सुरक्षात्मक कानून के लिए पैरवी करना
- मजदूरों को क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए प्रेरित करना
- कीटनाशक पर मौजूदा कानूनों के प्रावधानों का बेहतर तरीके से उपयोग करना, कृषि काम में चोटिल होने की घटनाओं पर डाटा इकट्ठा करना।

# परिशिष्ट –2

## मजदूरों की मैपिंग

## नाशिक के द्राक्ष के खेतों में प्रवासी मज़दूर

### सेंटर फॉर लेबररिसर्च एंडएक्शन, अहमदाबाद

**घरेलू अनुसूची 1:** इसे श्रमशक्ति ऐप के माध्यम से भरे

**मजदूर का प्रोफाइल (रुपरेखा)**

**व्यक्तिगत प्रोफाइल (रुपरेखा)**

1. सर्वेक्षक का नाम
2. मानचित्रण की तिथि
3. मजदूर का उपनाम
4. मजदूर का नाम
5. पिता/पति का नाम
6. आयु वर्षों में
7. जन्म तिथि
8. लिंग- पुरुष/महिला/अन्य
9. धर्म
10. जाति
11. जाति वर्ग – एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य
12. वैवाहिक स्थिति : अविवाहित/विवाहित/

विधवा/तलाकशुदा

**पता**

**स्रोत पता**

13. मोबाइल नंबर

14. राज्य (ड्रॉप डाउन विकल्प)

15. जिला (ड्रॉप डाउन विकल्प)

16. ब्लॉक (ड्रॉप डाउन)

17. गांव / क्षेत्र

18. पता

19. पिनकोड

20. पुलिस स्टेशन

**गंतव्य पता**

21. मोबाइल नंबर

22. राज्य (ड्रॉप डाउन विकल्प)

23. जिला (ड्रॉप डाउन विकल्प)

24. ब्लॉक (ड्रॉप डाउन)

25. गांव / क्षेत्र

26. गंतव्य पर आवास

मालिक द्वारा दिया गया कार्यस्थल पर

रहने की जगह

श्रमिक शिविर

किराये पर लेना

खुले में

खुद का आवास

अन्य

अनधिकृत बंदोबस्त में

सरकारी रैन बसेरा

आवागमन

27. पता

28. पिनकोड

29. पुलिस स्टेशन

**शिक्षा विवरण**

30. अंतिम शैक्षिक स्तर

निरक्षर

मुख्य

मध्यम

माध्यमिक

ग्रेजुएट

आईटीआई

**पहचान दस्तावेज**

31. दस्तावेज़ का प्रकार

आधार कार्ड

मतदाता पहचान पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस

अन्य

32. आईडी नंबर

33. आईडी पता

स्रोत

गंतव्य

34. यूनियन सदस्यता संख्या (यदि कोई हो)

35. सदस्यता की तिथि (यदि लागू हो)

36. फोटो अपलोड करें (यदि उपलब्ध हो)

**भू – स्वामित्व (एसेट्स):**

37. एकड़ में भूमि

मजदूर के साथ काम के स्थान पर परिवार के सदस्यों का विवरण:

1. परिवार के सदस्य का नाम:

2. मजदूर के साथ संबंध:

3. लिंग: पुरुष / महिला / अन्य

4. आयु:

5. शिक्षा की स्थिति:

6. क्या वह/वे गंतव्य में प्रतिवादी के साथ रह रहे हैं**?** हां नहीं एन / ए

7. क्या आप कभी काम के दौरान दुर्घटना के शिकार हुए हैं**?** हां नहीं एन / ए

# परिशिष्ट — 3

हाउसहोल्ड मैपिंग

## द्राक्ष की खेती में प्रवासी मजदूर

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन, अहमदाबाद

Household Schedule 2 (HS-2)

इस सर्वे को नासिक जिले में द्राक्ष की खेती में मजदूरों के साथ चर्चा करके भरा जाएगा इस फॉर्म को तीन भागों में बाँटा गया है जिनमे हम अलग अलग मजदूरों की विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास कर रहे है : 1. कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर 2. पीक सीजन में जो मजदूर कटाई के लिए जाते है। इस सर्वे का उद्देश्य मजदूरों के कार्य की पूरी जानकारी प्राप्त करना है, विशेष रूप से कार्य की स्थिति और कार्य-स्थल पर होने वाले घटनाओं को केंद्र में रखते हुए. इस साक्षात्कार को श्रमशक्ति एप्लीकेशन में व्यक्तिगत जानकारी भरे जाने के बाद किया जाना है. अंतिम भाग 9 कोविद महामारी का काम पर क्या प्रभाव पर जानकारी लेता है।

सर्वेक्षक का नाम: _____

**भाग 1 : मजदूर की व्यक्तिगत जानकारी**

मजदूर का पूरा नाम:_____

पता (गाँव का नाम/ब्लाक/जिला/राज्य )

_____

मजदूर का कार्य:

1. कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर
2. 2. पीक सीजन में जो मजदूर कटाई के लिए जाते है

**भाग 2: कॉन्ट्रैक्ट/टेंडर पर काम करने वाले मजदुर के काम का विवरण**

यह भाग कॉन्ट्रैक्ट/ टेंडर पर काम करने वाले मजदुर के काम की स्थिति की विस्तृत जानकारी के लिए बनाया गया है. कृप्या मजदुर के द्वारा किये गये आखिरी काम की जानकारी ले.

2.1 आप कितने सालों से द्राक्ष की खेती में काम कर रहे है?_____

2.2 आपने यह काम क्यूँ चुना?

लम्बे समय के लिए काम होने के कारण (8-9 महीने)

क्यूंकि परिवार के सदस्य भी द्राक्ष खेती में काम करते थे

अन्य प्रकार के काम के अभाव में

द्राक्ष वाला काम कम लोड वाला काम है

रात को काम नहीं करना पड़ता

अन्य

2.3 आपको द्राक्ष खेती का काम कैसे मिला?

परिजनों या रिश्तेदारों द्वारा

ठेकेदारों द्वारा

गाँव के लोगो द्वारा

खुद मुकद्दम है

अन्य

2.4 आपके परिवार में कितने सदस्य है?

_____

2.5 आपके घर से कितने लोग आपके साथ पलायन करते हैं? _____

2.6 आपके घर से 14 साल से ऊपर कितने लोग आपके साथ पलायन करते हैं?

_____

2.7 पिछले साल काम के लिये कब पहुचे थे?

1. अगस्त 2. सितंबर

3. अक्टूबर 4. अन्य _____

2.8 पिछले साल आप अपने वतन /गांव वापिस कौन से महीने में गए थे?

1. दिसंबर 2. जनवरी

3. फरवरी 4. अन्य _____

2.9 आपने पिछले वर्ष कोई कर्ज/एडवांस लिया? हाँ नहीं

2.10 अगर हाँ, तो क्या आप कर्ज/एडवांस/ खर्ची की राशी बता सकते है?

0- 5000 2. 5000-10000 3. 10000-15000 4. 15000-20000 5. >20000

2.11 कर्ज/एडवांस का आपने क्या उपयोग किया?

पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए

रोज के घर खर्च के लिए

सामाजिक काम के लिए (धार्मिक,मृत्यु, जन्म, शादी)

ईलाज के खर्च के लिए

बच्चों की पढाई के लिए

घर के निर्माण या मरम्मत के लिए

अपने जमीन पर होने वाले खेती के खर्च के लिए

अन्य _____

**भाग 3: पिछले सीजन के काम का विवरण**

3.1 पिछले वर्ष कितने प्लॉट्स पर द्राक्ष -खेती का काम किया था? (एकड़ में) _____

3.2 आपके टीम में कितने लोगों ने काम किया था? _____

3.3 एक प्लाट (या एक एकड़) में कितने मज़दूर काम करते हैं?_____

3.4. एक प्लाट (या एक एकड़) के टेंडर का रेट कितना था?_____

3.5. पिछले सीजन टेंडर के काम के आलावा आपने और कौनसा काम किया था ?

1. छुटक मजदूरी 2. अन्य _____

3.6 द्राक्ष की खेती के लिए समझौता पिछले वर्ष कैसे कैसे किया था?

मौखिक रूप से

काग़ज पर लिखकर (क्या कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको मिली थी? हाँ नहीं)

डायरी द्वारा

अन्य

3.7 पिछले साल आपने द्राक्ष के प्लाट में कौन कौन से काम किये थे?

ट्रांसप्लांटिंग

ग्राफ्टिंग

छटाई /छटनी करना

पेस्ट लगाना

डिप्पिंग करना

थिन्निंग करना (एक्स्ट्रा गुच्छे निकलना)

गुच्छों को वायर पर टांगना

पेपर रैपिंग करना

अन्य

पिछले सीजन में आपको कितना हिस्सा मिला था ?
₹_____

पिछले सीजन में एडवांस/खर्ची हटाने के बाद आपको हाथ में कितना पैसा मिला? ₹_____

पिछले सीजन में काम के लिये यात्रा में आपने कितना खर्चा किया ? ₹_____

पेस्ट या कीटनाशक छिड़कते वक़्त क्या आपको पोइज़निंग का डर रहता है ?

हाँ नहीं शायद

3.12 क्या अपको कीटनाशक या पेस्ट से हानि पहुंची है? हाँ नहीं

यदि हाँ तो विवरण दें

_____

**भाग 4: सार्वजनिक सेवाएँ**

यह भाग गंतव्य स्थान पर सार्वजानिक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी लेता है.

4.1 अगर 3-5 साल के बच्चे साथ में गंतव्य क्षेत्र जाते है, तो क्या वो आंगनबाड़ी जाते है?

हां नहीं लागू नहीं

4.2 क्या 0 -3 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी से फ़ूड पैकेट्स मिलता है? हां नहीं लागू नहीं

4.3 क्या 6-14 साल के बच्चे गंतव्य क्षेत्र पर स्कूल जाते है?

हां नहीं लागू नहीं

4.4 अगर कोई गर्भवती महिला साथ में है तो क्या ANM उनके नियमित जांच के लिए आती है? (गंतव्य क्षेत्र पर) हां नहीं लागू नहीं

4.5 आप या आपके परिवार से कोई बीमार पड़ता है तो किसके पास जाते है?

सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी

प्राइवेट हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी

घरेलु उपचार

अन्य

4.6 कौन-कौन सी सुविधायें गंतव्य क्षेत्र पर है?

पिने का पानी

अन्य कामों के लिए पानी

शौचालय

बिजली की सुविधा

अन्य

**भाग 5: कार्य स्थल पर हिंसा की घटनाओं का विवरण**

यह भाग कार्य स्थल पर हुए हिंसा के घटनाओं की जानकारी लेता है.

5.1 क्या आपको खेडुत/मालिक द्वारा किसी भी तरह का हिंसा का सामना करना पड़ा है?

हां नहीं शायद

5.2 किस तरह के हिंसा का सामना करना पड़ा है?

गाली गलोच

मार पीट

मानसिक उत्पीडन

यौन उत्पीडन

अन्य

5.3 हिंसा की कोई घटना जो आप बताना चाहते हो_____

5.4 क्या काम करने के बाद भी आपके पैसे कही बाकी है? हां नहीं

5.5 अतिरिक्त जानकारियां

**भाग 6 - द्राक्ष कटाई में जाने वाले खेत मजदूर के काम का विवरण**

यह भाग द्राक्ष खेती में पीक सीजन में खेत-मजदूर के कामों की विस्तृत जानकारी लेने के लिए बनाया गया है.

6.1 आप द्राक्ष खेती के काम में कैसे गये?

ठेकेदारों द्वारा

गाँव के लोगो द्वारा

रिश्तेदारों द्वारा

अन्य

6.2 पिछले सीजन में आपकी टुकड़ी में कितने लोग पीक सीजन में गए थे?

_____

6.3 काम की अवधि जब आप खेती के काम के लिए गये थे

जनुअरी - फेब्रुअरी

फेब्रुअरी - मार्च

मार्च - अप्रैल

अन्य

6.4 द्राक्ष की खेती में आपने पिछले सीजन कौन कौन से काम किये थे?

द्राक्ष की कटाई

पैकिंग

स्टोरिंग

अन्य

6.5 पिछले सीजन में आपने कुल कितने दिन द्राक्ष के खेत में काम किया है ?

_____

6.6 आप 1 दिन में लगभग कितना घंटा काम करते थे?_____

6.7 अगर दैनिक मजदूरी पर तो, मजूरी दर ₹_____

6.8 अगर किसान ने खुद मज़दूर को फ़ोन करके बुलाया, तोह कितना दैनिक रेट पर बुलाया? ₹_____

6.9 अगर ठेका पर पेमेंट नकद में मिली है तो उसकी कुल राशी ₹_____

6.10 पिछले सीजन में काम के लिये यात्रा में आपने कितना खर्चा किया? ₹_____

6.11 अतिरिक्त जानकारियां:

_____

**भाग 7: सार्वजनिक सेवाएँ**

यह भाग गंतव्य स्थान पर सार्वजानिक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी लेता है.

7.1 अगर 3-5 साल के बच्चे साथ में गंतव्य क्षेत्र जाते है, तो क्या वो आंगनबाड़ी जाते है?

हां नहीं लागू नहीं

7.2 क्या 0 -3 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी से फ़ूड पैकेट्स मिलता है? हां नहीं लागू नहीं

7.3 क्या 6-14 साल के बच्चे गंतव्य क्षेत्र पर स्कूल जाते है? हां नहीं लागू नहीं

7.4 अगर कोई गर्भवती महिला साथ में है तो क्या ANM उनके नियमित जांच के लिए आती है? (गंतव्य क्षेत्र पर) हां नहीं लागू नहीं

7.5 आप या आपके परिवार से कोई बीमार पड़ता है तो किसके पास जाते है?

सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी

प्राइवेट हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी

घरेलु उपचार

अन्य

**भाग 8: कार्य स्थल पर हिंसा की घटनाओं का विवरण**

यह भाग कार्य स्थल पर हुए हिंसा के घटनाओं की जानकारी लेता है.

8.1 क्या आपको खेडुत/मालिक द्वारा किसी भी तरह का हिंसा का सामना करना पड़ा है?

हां नहीं शायद

आपको किस तरह के हिंसा का सामना करना पड़ा है?

मार पीट

गाली गलोच

मानसिक उत्पीडन

यौन उत्पीडन

अन्य

8.3 हिंसा की कोई घटना जो आप बताना चाहते हो

_____

8.4 क्या आपको कभी काम ख़त्म होने के बाद पैसे नहीं मिले हो? हां नहीं

8.5 अतिरिक्त जानकारियां_____

**भाग 9: कोविद का मज़दूर पर प्रभाव**

9.1 कोविद का आपके काम पर कैसा प्रभाव पढ़ा है?

काम कम हो गया है

काम बढ़ गया है

कोई प्रभाव नहीं

9.2कोविद का आपकी दैनिक मज़दूरी पर क्या प्रभाव पढ़ा है?

मज़दूरी बढ़ गयी है

मज़दूरी कम हो गयी है

कोई असर नहीं हुआ है

9.3 कोविद के कारन आपको किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पढ़ा?

काम की कमी

दैनिक मज़दूरी में गिरावट

महारष्ट्र में आने जाने पर पाबन्दी

अन्य

9.4 कोविद से आपके परिवार के सामने क्या क्या मुश्किल कड़ी हुई हैं?

कोविद का डर

मजदूरी मिलने में देरी

घर में अनाज की कमी

घर वापिस आने में दिक्कत

काम की कमी

9.5 क्या आपने करना का टेक्स्ट करवाया है?

हाँ नहीं

9.6 क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कोरोना हुआ है? हाँ नहीं

9.7 अतिरिक्त जानकारियां_____

_____

# LIST OF MAPS AND DIAGRAMS

Map 1: Migration corridor in Dang and Nashik

Diagram 1: Various labour processes (for tender workers) involved from September to December

Diagram 2: Number of respondents that took advance in the last season

Diagram 3: Representing public service situation at destination

Diagram 4: Representing health services at destination

# LIST OF TABLES

Table 1: Cost per Acre of Grape Cultivation
Table 2: Rates for piece rate tasks for 1 plot
Table 3: Blocks mapped along the migration stream
Table 4: Sex distribution of respondents
Table 5: Age wise distribution of Workers
Table 6: Level of literacy among the workers
Table 7: Landholding owned by the respondents
Table 8: Break Up of Surveyed Workers by Type of Work
Table 9: Migration history of the workers
Table 10: Modes of Recruitment
Table 11: Duration of the Work Season
Table 12: Reasons for taking Advance
Table 13: Number of plots worked by a worker in a season
Table 14: Distribution of workers as per the team size
Table 15: Distribution of workers on one acre of plot
Table 16: Average Daily wages received by the respondents.
Table 17: Seasonal rate for the plots (Per acre)
Table 18: Distribution as per the team size
Table 19: Months of migration for Harvesting
Table 20: Travel expenses incurred by the workers households
Table 21: Contract for Harvesting workers
Table 22: Effect of Covid on Work
Table 23: Difficulties faced due to Covid 19

# REFERENCES


Bhosale, S. and The Entrepreneurship Development Institute of India. (2001). Cluster Development Programme Nashik. Sid Online.

Bhosale, S. S., Kale, N. K., and Sale, Y. C. (2016). Trends in Area, Production and Productivity of Grapes in Maharashtra. *Int. J. Adv. Multidiscip. Res*, *3*(10), 21-29.

Centre for Labour Research and Action. (2017). A bitter harvest: Seasonal migrant sugarcane harvesting workers of South Gujarat. Ahmedabad: Centre for Labour Research and Action.

Retrieved from : http://clra.in/files/documents/e055ab18-f083-45bb-bb8d-11cd0b43c9ff.pdf

Endangered Livelihoods: Adivasi Seasonal Labour Migration in the Dangs of Gujarat. Retrieved on December 10th, 2021 from:

http://www.akrspindia.org.in/uploadcontent/resourcemenu/resourcemenu_15.pdf

Gawande, D. N. (2021). A retrospection of Indian grape varieties.

Kadbhane, S. J., & Manekar, V. L. (2021). Development of agro-climatic grape yield model with future prospective. *Italian Journal of Agrometeorology*, *1*, 89-103.

Larrington-Spencer, H. M. (2014). Should I eat grapes from India? A story of who wins and who loses in export grape production in Nashik district, Maharashtra. Thesis. Wageningen University, the Netherlands.

Mhetre, A.V., Chavan, R.V. & Chaudhari, S. V. (2020). Economic Analysis of Grape Production in Sangli District of Maharashtra. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences.Special Issue-11* pp. 1439-1444.

Naik, G. (2006). Bridging the Knowledge Gap in Competitive Agriculture: Grapes in India. *TECHNOLOGY, ADAPTATION, AND EXPORTS*, 243.

Pawar, Tushar (2019, January 5). 'Grape production likely to dip by 25%. Times of India. Retrieved on 6th December, 2021 https://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/grape-production-likely-to-dip-by-25/articleshow/67399345.cms

Rath, S. (2003). Grape Cultivation for Export: Impact on Vineyard Workers. *Economic and political Weekly*, 480-489.

Selwyn, B. (2012). Beyond firm-centrism: Re-integrating labour and capitalism into global commodity chain analysis. *Journal of Economic Geography*, *12*(1), 205-226.

Singh, S. (2013). Governance and upgrading in export grape global production networks in India.

Singh, S. (2016). Fresh Produce Markets, Standards, and Dynamics of Labour. *Labour Conditions in Asian Value Chains*, 94.

Study of Value Chain for Grapes. Nasik, Maharashtra. Report by NCPAH. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, New Delhi. Retrieved on Dec. 10th, 2021 https://www.midh.gov.in/VCS%20Reports/7-Value%20chain%20for%20Grapes%20crop%20in%20Nasik%20district%20of%20Maharashtra.pdf

Todkari, G. U. (2012). Origin & diffusion of grape orchards in India: A geographical analysis. *World Research Journal of Geoinformatics*, *1*(1), 14-16.

## सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (CLRA) भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह राज्य के साथ नीति के प्रतिपालन के जरिये अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम की परिस्थितियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए अनुसंधान का कार्य करता है ताकि श्रमिकों को उनके उचित अधिकार प्राप्त हों। सेंटर ने श्रमिकों के मौसमी प्रवास धाराओं, जो श्रम गहन उद्योगों जैसे कृषि, ईंट भट्टों, भवन और निर्माण के लिए श्रमिको की आपूर्ति करते हैं, के दस्तावेजीकरण में अग्रणी काम किया है। इसके काम ने श्रमिकों को संगठित करने के एक वैकल्पिक प्रतिमान के विकास की सुविधा प्रदान की है जो श्रमिकों के निरंतर गतिशीलता में, मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका, उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति और श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक रूप-रेखा के मामले में प्रासंगिक है।

## रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग

रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग (आरएलएस) जर्मनी आधारित संस्था है जो महत्वपूर्ण सामाजिक विश्लेषण और नागरिक शिक्षा के विषयों पर दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रहा है। यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, और इसका उद्देश्य ऐसी वयवस्था के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण वाले समाज के सदस्य और निर्णयकर्ता को प्रस्तुत करना है। शोध संगठनों, सामाजिक मुक्ति के लिए काम करने वाले समूह, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन मॉडल के विकास के लिए जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की क्षमता रखते हैं लिए गये पहलकदमी में उनकी मदद करता है।

**अस्वीकरण:**

"जर्मनी संघीय गणराज्य के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटंग द्वारा प्रायोजित। जब तक वे मूल प्रकाशन का उचित संदर्भ प्रदान करते हैं, तब तक इस प्रकाशन या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग दूसरों द्वारा मुफ्त में किया जा सकता है।

प्रकाशन की सामग्री सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन की जिम्मेदारी है, और आरएलएस की दृष्टी को व्यक्त करे जरुरी नहीं है।